

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगाता रह पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....
परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गुंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर में "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।



संजय बाठला
मुख्य संपादक

परिवहन विशेष एक्सक्लूसिव - पर्यावरण संकट विशेष - प्रधान संपादक की विशेष पड़ताल

सांस नहीं तो जिंदगी नहीं - दिल्ली की हवा पर सबसे बड़ा सवाल ?

परिवहन विशेष जनहित में जारी

सांस नहीं तो जिंदगी नहीं - दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सबसे बड़ा सवाल

धूल और जाम पर फिर नया आदेश, 15 साल से कागजी दौर - जनता से खराबों के चालान, हवा वहीं की वहीं

सरकार का नया दावा

हकीकत क्या है? - जनता का सवाल

हमें आदेश नहीं, सांस चाहिए - चालान का हिसाब दो, हवा साफ करो

धूल और जाम पर फिर नया आदेश, लेकिन 15 साल से जनता गुमराह क्यों? दिल्ली सरकार के कागजी दौर, भाषणी दौर और खराबों के चालान का हिसाब कौन देगा? पर्यावरण मंत्री सिरसा का नया निर्देश: 31 अक्टूबर तक गड्डे भरों, ब्राउन परिया सुधारों, हॉटस्पॉट मैपिंग करो - 3 किमी दायरे में स्रोत पहचानो - लेकिन सवाल वहीं - जमीन पर होगा या फिर फाइलों में रह जाएगा?

लेख संजय कुमार बाठला प्रधान संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र हर साल वही कहानी दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती का नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार ने कहा है - धूल और जाम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को स्रोत-वार कार्य योजनाएं बनानी होंगी, जिसमें उपाय, जिम्मेदार एजेंसी और समय सीमा स्पष्ट होंगी। PM10 और PM2.5 के उच्च स्तर वाले स्थानों, भारी यातायात, भारी वाहनों की पार्किंग, सड़क धूल और जाम वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर तत्काल कदम

उठाए जाएंगे। सरकार ने 31 अक्टूबर तक लंबित सिविल कार्य - गड्डों की मरम्मत, ब्राउन परिया का उपचार, सड़क किनारे के कार्य पूरे करने का लक्ष्य दिया है। जहां काम नहीं हो पा रहा, वहां पानी छिड़काव और धूल दमन उपाय जारी रखने को कहा गया है। सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन दिल्ली की जनता पिछले 15 सालों से यही सुन रही है। हर अक्टूबर में आदेश, हर नवंबर में धुंध, हर साल खराबों का चालान। परिवहन विशेष की पड़ताल में सवाल - इस बार क्या बदलेगा? बिंदु 1: नया आदेश क्या है? - ग्राउंड पर क्या करने को कहा गया पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देश: 1. हॉटस्पॉट मैपिंग: AQI नियमानी डेटा से हॉटस्पॉट चिन्हित करो। 2. 3 किमी स्रोत पहचान: हर

हॉटस्पॉट के 3 किमी दायरे में प्रदूषण के स्रोत - सड़क धूल, जाम, वाहन उत्सर्जन, निर्माण-विध्वंस, अनधिकृत पार्किंग, खुले क्षेत्र, कचरा जलाना। 3. स्रोत-वार प्लान: हर स्रोत के लिए उपाय, जिम्मेदार एजेंसी, समयसीमा तय। 4. 31 अक्टूबर डेडलाइन: गड्डे, सड़क, फुटपाथ के काम प्राथमिकता से पूरे करो: नहीं तो पानी छिड़काव अनिवार्य। यह आदेश सीधे तौर पर CAQM (Commission for Air Quality Management) के नए निर्देशों पर आधारित है। बिंदु 2: CAQM ने क्या कहा? - अब Uniform नहीं, Hotspot-Wise प्लान CAQM ने 24 अगस्त 2026 के पत्र में स्पष्ट किया है - अब पूरे NCR के लिए एक जैसा आदेश नहीं चलेगा। - CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, UP को कहा - हर हॉटस्पॉट का अलग प्लान बनाओ, नोडल अफसर तय करो, टाइमलाइन दो।

- दिल्ली में 2023 की लिस्ट के अनुसार जहां वार्षिक औसत PM10 > 300 और PM2.5 > 100 माइक्रोग्राम है, वो हॉटस्पॉट है। - नई रणनीति - जहां धूल है वहां धूल नियंत्रण, जहां निर्माण है वहां कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, जहां कचरा जल रहा है वहां वहां रोक। बिंदु 3: संवैधानिक अधिकार - साफ हवा भीख नहीं, हक है यह लड़ाई सिर्फ धूल की नहीं, संविधान की है। - अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में कहा - साफ हवा और पानी के बिना जीवन का अधिकार अधूरा है। सांस नहीं तो जिंदगी नहीं। - अनुच्छेद 48A और 51A(घ) : राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना, और हर नागरिक का कर्तव्य है इसे सुधारना। सरकार कागजी आदेश से कर्तव्य पूरा नहीं कर सकती। बिंदु 4: न्यायिक फैसले क्या कहते हैं? - कोर्ट 30 साल से कह रहा है 1. एम.सी. मेहता बनाम भारत

संघ - दिल्ली प्रदूषण केस (1985 से लगातार) : सुप्रीम कोर्ट ने ही GRAP (Graded Response Action Plan), CNG बसें, पराली रोक, निर्माण पर रोक सब लागू करवाई। 6 जनवरी 2026 को कोर्ट ने CAQM को फटकारा - 'इतने कर्तव्य की पूर्ण विफलता है कि स्रोत ही तय नहीं कर पा रहे। 2. दिल्ली हाई कोर्ट - 2015 से 2023 तक: बार-बार कहा - सड़क धूल के लिए PWD, MCD, DDA जिम्मेदार, पानी छिड़काव रोज हो, गड्डे मत छोड़ो। 3. NGT के आदेश: 2016 में NGT ने कहा - दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर 5000 रु जुर्माना, निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण अनिवार्य। कोर्ट कह-कह कर थक गया, सरकार सुन-सुन कर भूल गई। बिंदु 5: जनता से वसूली का पूरा हिसाब - खराबों का खेल सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई - चालान। प्रदूषण कम हुआ या नहीं, खजाना जरूर भर गया।

परिवहन विशेष की RTI और सरकारी आंकड़ों पर आधारित पड़ताल: - PUC चालान: सिर्फ 2025 में 15 दिसंबर तक 8.22 लाख चालान - हर चालान 10,000 रुपये का। 2023 में 2.32 लाख थे, 2024 में 5.98 लाख हो गए। मतलब - 2 साल में चालान 3 गुना। - GRAP पीरियड में: 14 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच ही 1,56,993 चालान काटे गए। हिसाब लगाइए - 1.56 लाख x 10,000 = लगभग 157 करोड़ रुपये सिर्फ 2 महीने में। - GRAP-2 में: अक्टूबर 2025 के बाद 20,000 से ज्यादा चालान और। - इसके अलावा No PUC, No Fuel, BS-III बैन, कंस्ट्रक्शन बैन के नाम पर हर साल हजारों करोड़ का अप्रत्यक्ष वसूली और उद्योगों का नुकसान। सवाल: जब 8 लाख गाड़ियों से 800 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल लिया, तो वह पैसा हवा साफ करने में

लगा या सिर्फ भाषणों में? प्रधान संपादक का अंतिम सवाल - प्रधान संपादक संजय कुमार बाठला की ओर से 1. 31 अक्टूबर तक सड़कें ठीक होंगी - लिखित गारंटी कौन देगा? हर साल यही तारीख दी जाती है, अगले साल फिर गड्डे वहीं हैं। 2. हॉटस्पॉट मैपिंग का डेटा पब्लिक कब होगा? जनता को पता तो चले कि उसके घर के 3 किमी में प्रदूषण का असली स्रोत कौन है - फैक्ट्री, बिल्डर या MCD? 3. चालान के खराबों रुपये का ऑडिट कहाँ है? PUC और GRAP से वसूले पैसे से कितने स्मॉग टावर, कितने पानी छिड़काव वाले टैंकर खरीदे? परिवहन विशेष की मांग: सरकार कागजी दौर और भाषणी दौर बंद करे। हर हॉटस्पॉट पर लगे नोडल अफसर का नाम, मोबाइल नंबर सार्वजनिक करे, और रोक की धूल-जाम कार्रवाई की फोटो के साथ रिपोर्ट जारी करे। क्योंकि जनता को अब आदेश नहीं, सांस चाहिए।

परिवहन विशेष एक्सक्लूसिव - प्रधान संपादक का सीधा सवाल

राजधानी में ई-रिक्शा बने मौत की सवारी - प्रधान संपादक का दिल्ली सरकार से सीधा सवाल - अगर बिजनौर में 12 नियम लागू हो सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं ?

परिवहन विशेष की पड़ताल: बिजनौर पुलिस ने 12 बिंदुओं पर कसा शिकंजा, दिल्ली में वही ई-रिक्शा हाईवे पर, ओवरलॉड, नशे में दौड़ रहे - यातायात पुलिस, परिवहन विभाग मौन क्यों? लेख संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक एक जिला कर सकता है तो राजधानी क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा को लेकर 12 सूत्रीय सख्त आदेश लागू कर दिए हैं। नाबालिग चालक नहीं चलेगा, हाईवे पर नहीं चलेगा, ओवरलॉड नहीं चलेगा, नशे में नहीं चलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। सवाल यह है - जो नियम यूपी के एक जिले में लागू हो सकते हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं?

1. क्या दिल्ली की सड़कें प्रयोगशाला हैं?
2. क्या दिल्ली के लोगों की जान सस्ती है?
- परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रधान संपादक की ओर से यह सवाल सीधा दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस से है। बिंदु 1: बिजनौर में क्या लागू हुआ? - 12 नियम जो जीवन बचाते हैं
1. नाबालिग द्वारा ई-रिक्शा संचालन पूर्ण प्रतिबंधित।
2. बिना नंबर वाले, अवैध, जर्जर ई-रिक्शा पर पूर्ण रोक।
3. मुख्य राजमार्गों (Highways) पर संचालन पर पूर्ण रोक।
4. निर्धारित रूट से बाहर चलना मना।
5. ड्राइवर सीट पर दूसरा व्यक्ति बैठाना वर्जित।

6. ओवरलॉड सवारी पर रोक।
7. मॉडिफाइड (अतिरिक्त) सीट लगाना प्रतिबंधित।
8. चौराहे/सड़क के बीच में सवारी चढ़ाना-उतारना मना।
9. सरिया, पाइप, बाहर निकला सामान लटाना मना।
10. नशे में वाहन चलाना सख्त मना।
11. सभी चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
12. वाहन किनारे सुरक्षित स्थान पर ही खड़ा होगा। बिंदु 2: दिल्ली में हकीकत क्या है? - ग्राउंड रिपोर्ट - रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, NH-9 पर दिन-दहाड़े ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। - मजनु का टीला, सोलमपुर, शहदरा, द्वारका मोड़ पर 10-12 सवारी टुंड कर रहे हैं। - 14-15 साल के नाबालिग लड़के ई-रिक्शा चला रहे हैं, न लाइसेंस, न

वेरिफिकेशन। - ड्राइवर सीट पर 2 लोग, पीछे 6 सवारी, ऊपर सरिया-पाइप - यह रोज का नजारा है। - चौराहे पर ही रोक कर सवारी भरना - जाम और एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह। बिंदु 3: कानून क्या कहता है? - प्रधान संपादक का संवैधानिक और कानूनी विश्लेषण इस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और राजपत्रित अधिसूचनाओं का सीधा प्रहार है: A) संवैधानिक अधिकार: - अनुच्छेद 21: हर नागरिक को सुरक्षित जीवन का अधिकार है। असुरक्षित ई-रिक्शा उस अधिकार का हनन है। B) मोटर वाहन नियम और अधिसूचना: - धारा 2A और 7: नाबालिग द्वारा वाहन चलाना अपराध। बिजनौर का नियम 1 इसी पर आधारित है।

- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 125: वाहन की निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी और मॉडिफिकेशन अवैध। (नियम 6 और 7) - धारा 184, 185 MV Act: खतरनाक तरीके से और नशे में वाहन चलाना दंडनीय अपराध, 6 माह तक जेल। (नियम 10) - दिल्ली सरकार की अधिसूचना No. F.3(19)/Tpt./T-4/ /2014/- ई-रिक्शा नियम 2014: दिल्ली में भी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, रूट परमिट अनिवार्य है, लेकिन पालन नहीं हो रहा। C) न्यायिक आदेश - सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कह चुके हैं: - सुप्रीम कोर्ट - एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2014) और सड़क सुरक्षा के कई आदेश: कोर्ट ने कहा है - अनरजिस्टर्ड ई-रिक्शा को जब्त करो, हाईवे पर मत चलने दो। - दिल्ली हाई कोर्ट - शहनवाज

बनाम दिल्ली सरकार (2015): कोर्ट ने आदेश दिया था - दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए रूट तय करो, पुलिस वेरिफिकेशन करो, नाबालिगों को मत चलाओ। बिजनौर पुलिस ने इन्हें न्यायिक आदेशों का पालन किया है, दिल्ली ने फाइलों में बंद कर दिया है। बिंदु 4: प्रधान संपादक के 5 सीधे सवाल - जवाब कौन देगा? सवाल 1 - दिल्ली सरकार से: जब बिजनौर में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है तो दिल्ली में? लाखों से ज्यादा ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं? क्या किसी अपराधी के हाथ में सवारी की जान देना ठीक है? सवाल 2 - परिवहन विभाग से: दिल्ली मोटर वाहन नियमों के तहत हाईवे पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित है, फिर भी NH और रिंग रोड पर कैसे दौड़ रहे हैं? आपके द्वारा जारी रूट परमिट की लिस्ट कहाँ है?

परिवहन विशेष एक्सक्लूसिव | प्रधान संपादक का सीधा सवाल

परिवहन विशेष

दिनांक: 22 सितंबर 2026 | वर्ष 04 | अंक 168 | मूल्य: नि:शुल्क

अगर बिजनौर में 12 नियम लागू सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं?

प्रधान संपादक संजय कुमार बाठला का दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस से सीधा सवाल

बिजनौर में लागू - 12 नियम

दिल्ली में हकीकत - मौत की सवारी

स्वयं भी सुरक्षित रहे - सुरक्षित ई-रिक्शा - सुरक्षित चालक - सुरक्षित यात्री

मोटर वाहन अधिनियम का पालन करो | जनहित में जारी - प्रधान संपादक संजय कुमार बाठला, परिवहन विशेष

सवाल 3 - यातायात पुलिस से: बिजनौर में चौराहे पर रोककर सवारी भरने पर चालान हो रहा है, दिल्ली के चौराहों पर जाम का कारण बनने वाले ई-रिक्शा पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सिर्फ कार-बाइक वालों का ही चालान होगा? सवाल 4 - तीनों विभागों से: सरिया-पाइप लादकर चलने वाले ई-रिक्शा से रोक एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी दिन बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा - चालक या आप? सवाल 5 - जनता की सुरक्षा के लिए: बिजनौर जैसा 12 बिंदुओं का स्पष्ट आदेश दिल्ली में सार्वजनिक रूप से जारी क्यों नहीं किया जाता?

अंतिम अपील - जनहित में स्वयं भी सुरक्षित रहे - सुरक्षित ई-रिक्शा - सुरक्षित चालक - सुरक्षित यात्री यह सिर्फ नारा नहीं, कानून है। बिजनौर ने दिखा दिया कि इच्छाशक्ति हो तो सब संभव है। परिवहन विशेष समाचार पत्र मांग करता है कि दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से बिजनौर पैटर्न पर 12 सूत्रीय आदेश जारी करें और उसका कड़ाई से पालन कराएं। यदि नियम लागू नहीं हुए तो परिवहन विशेष जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

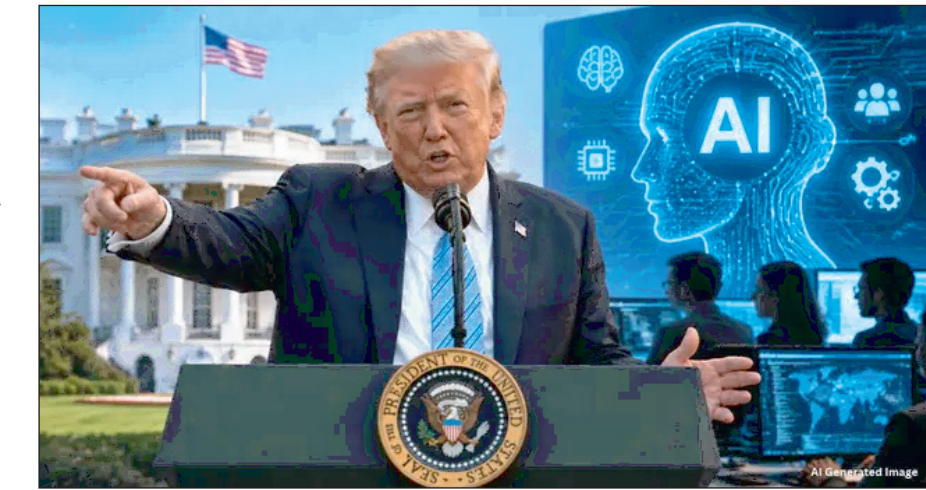


पिंकी कुडू

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य प्रभाव और भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया वैश्विक परिप्रेक्ष्य: क्यों "AI जीतता है" - AI एक महाशक्ति के रूप में: राजनीतिक या कॉर्पोरेट

प्रतिस्पर्धा से परे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह निर्णायक तकनीक बन रही है जो अर्थव्यवस्था, रक्षा, कानून और समाज को आकार दे रही है। - क्षेत्रों में तीव्र विस्तार: - अर्थव्यवस्था: ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और जनरेटिव AI उत्पादकता को पुनर्निर्भाषित कर रहे हैं। - रक्षा एवं सुरक्षा: AI-आधारित निगरानी, साइबर युद्ध और स्वायत्त प्रणालियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बन गई हैं। - कानून एवं शासन: न्यायिक शोध, धोखाधड़ी की पहचान और नागरिक सेवाओं पर AI का प्रभाव। - समाज: शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार तेजी से AI द्वारा संचालित हो रहे हैं। AI के प्रमुख भविष्य प्रभाव - आर्थिक परिवर्तन - नियमित भूमिकाओं में

रोजगार का विस्थापन; नए AI-केंद्रित रेशों का निर्माण। - AI-संचालित कृषि, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक विकास पर हावी होंगे। - साइबर सुरक्षा एवं युद्ध - AI-संचालित साइबर हमलों (डीपफेक, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, रैनसमवेयर-एज-ए-सर्विस) में वृद्धि। - राष्ट्रों को वास्तविक समय खतरे की पहचान हेतु AI-आधारित रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होगी। - कानूनी एवं नैतिक चुनौतियाँ - अदालतों में AI-जनित साक्ष्यों का दुरुपयोग। - AI-निर्मित सामग्री पर बौद्धिक संपदा विवाद। - स्वचालित निर्णयों में पक्षपात और निष्पक्षता की चिंताएँ। - भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा



AI वर्चस्व एक रणनीतिक दौड़ बन रहा है, जो परमाणु या अंतरिक्ष प्रभुत्व के समान है। - जो भी राष्ट्र AI अनुसंधान और तैनाती में अग्रणी होगा, उसे व्यापार, कूटनीति और रक्षा में बढ़त मिलेगी।

IN भारत की चुनौतियाँ - डिजिटल विभाजन: शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच AI उपकरणों तक असमान पहुँच। - कौशल अंतराल: कार्यबल अभी तक AI साक्षरता और उन्नत डेटा विज्ञान में पूर्ण प्रशिक्षित नहीं।

- साइबर अपराध वृद्धि: भारत AI-संचालित धोखाधड़ी और घोटालों का प्रमुख लक्ष्य है। - निर्यातक किल्लेबाज: कानून AI की तीव्र प्रगति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे। भारत के लिए रणनीतिक

सिफारिशें A. नीति एवं विनियमन - जिम्मेदार उपयोग की निगरानी हेतु राष्ट्रीय AI नैतिकता एवं सुरक्षा आयोग की स्थापना। - वित्त, न्यायपालिका और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI ऑडिट ट्रेल्स अनिवार्य करना। - स्वचालित प्रणालियों से होने वाले दुरुपयोग या हानि पर AI दायित्व कानून लागू करना। B. क्षमता निर्माण - स्कूलों और विश्वविद्यालयों में AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना। - पुलिस, न्यायपालिका और नियामकों को AI जागरूकता एवं साइबर कानून में प्रशिक्षित करना। - IITs, NITs और विधि विश्वविद्यालयों में AI अनुसंधान केंद्रों को प्रोत्साहन देना। C. साइबर सुरक्षा सरकार और BFSI क्षेत्रों के

लिए AI-संचालित साइबर रक्षा प्रणालियाँ लागू करना। - CERT-In को वास्तविक समय AI खतरे की जानकारी से सशक्त करना। - AI घोटालों, डीपफेक और धोखाधड़ी पर जन-जागरूकता अभियान चलाना। D. अंतरराष्ट्रीय सहयोग - BRICS, QUAD और EU के साथ AI शासन ढाँचे पर सहयोग। - भारत को नैतिक AI अनुसंधान का तटस्थ केंद्र बनाना। "जो भी जीते, जीत AI की होगी" यह वाक्य AI के प्रभुत्व की अनिवार्यता को दर्शाता है। भारत के लिए चुनौती केवल अपनाते की नहीं बल्कि लचीले अनुकूलन की है - ताकि AI लोकतंत्र, सुरक्षा और समावेशी विकास को सशक्त बनाए, न कि शोषण का उपकरण बने।

भारत के महान संत - सप्तर्षि

'स्वर कथा' आपके लिए भगवान शिव के अवतारों पर लेख लाता रहा है। उम्मीद है कि आपने उन लेखों का आनंद लिया होगा और साथ ही भगवान शिव की महानता और सनातन संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी भी हासिल की होगी। भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। पिछला लेख द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पर था, जो भगवान शिव का एकमात्र ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती और जो आज भी इस धरती पर भटक रहा है।

इस सप्ताह से हम चर्चा आरम्भ कर रहे हैं कुछ उन संतो की जिन्होंने सनातन संस्कृति को उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम हम जानेंगे है सनातन धर्म में उल्लेखित सप्तऋषि के विषय में जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गयी।

सप्तर्षि का शाब्दिक अर्थ है 'सात ऋषि'। प्राचीन भारत के सात ऋषि हैं, जिनकी प्रशंसा वेदों और अन्य हिंदू साहित्य जैसे स्कंद पुराण में की गई है।

सात ऋषियों की सबसे प्रारंभिक औपचारिक सूची जैमिनीय ब्राह्मण में दी गई है: अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में थोड़ी अलग सूची दी गई है: अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। उत्तरकालीन गोपथ ब्राह्मण में वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज, गुंगु, अगस्त्य और कश्यप हैं।

उत्तर-वैदिक ग्रंथों में, अलग-अलग सूचियाँ दिखाई देती हैं, इनमें से कुछ ऋषियों को ब्रह्मा के 'मन-जन्मि पुत्र' अर्थात् मानस पुत्र, के रूप में पहचाना गया था, जो सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अगले मन्वन्तर में सात ऋषि दीर्घिमन्त, गालव, परशुराम, कृपा, द्रौणी या अश्वत्थामा, व्यास और ऋष्यश्रृंग होंगे।

मन्वन्तर (मनु की आयु) एक कल्प (ब्रह्मा का दिन) के भीतर समय की एक इकाई है। एक कल्प में चैदह मन्वन्तर होते हैं। प्रत्येक



मन्वन्तर पर एक अलग मनु का शासन होता है, जिसमें वर्तमान सातवें पर वैवस्वत मनु का शासन है। प्रत्येक मन्वन्तर में ऋषि और उनके पुत्र नए सिर से जन्म लेते हैं।

1. शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद सात ऋषियों (या सप्तर्षियों) के नामों को इस प्रकार स्वीकार करते हैं: अत्री, भारद्वाज, गौतम महर्षि, जमदग्नि, कश्यप, वसिष्ठ, विश्वामित्र
2. कृष्ण यजुर्वेद में संध्या-वन्दना मंत्र इस प्रकार है: अंगिरस, अत्री, भृगु, गौतम महर्षि, कश्यपकुत्सावसिष्ठ
3. महाभारत और बृहत्संहिता में सात ऋषियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: अंगिरस, अत्री, क्रतु, मारिची, पुलहा, पुलस्त्य, वसिष्ठ
जैन धर्म में कहा गया है कि, "एक बार उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा में 'आकाशगामिनी विद्या' वाले सात ऋद्धधारी दिगंबर संत वर्षा ऋतु के दौरान आए। जिनके नाम थे 1.) सुरमन्यु, 2.) श्रीमन्यु, 3.) श्रीनिचय, 4.) सर्वसुंदर, 5.) जयवान, 6.) विनयलाला और 7.) जयमित्र। इन सात दिगंबर मुनियों के महान तप के कारण 'महामारी' रोग ने अपना बुरा प्रभाव बंद कर दिया और वे सभी 'सप्तऋषि' कहलाए।

सिख धर्म दशम ग्रंथ में सात ऋषियों की जीवनी का उल्लेख है, अर्थात्, वाल्मीकि, कश्यप, शुक, बछेस, व्यास, खत और कालिदास।

इनका वर्णन ब्रह्म अवतार नामक रचना के अंतर्गत किया गया है।

प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में, पश्चिम में बिग डिपर अर्थात् उर्स मेजर के रूप में जाने जाने वाले तारों के पैटर्न को सप्तर्षि कहा जाता है, जिसमें सात तारे सात ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलहा, अत्रि, अंगिरस और क्रतु। वशिष्ठ के पास एक धुंधला साथी तारा, जिसे अरुंधति के नाम से जाना जाता है, वशिष्ठ की पत्नी के साथ पहचाना जाता है। वशिष्ठ और अरुंधति एक साथ मिलकर मिर्जा और अलकोर नामक दोहरे तारा प्रणाली के अनुरूप हैं।

प्रिय पाठकों, उम्मीद है कि आपको आज का लेख दिलचस्प लगा होगा। अगले हफ्ते से हम उन संतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से सनातन संस्कृति को समृद्ध करने में अहम योगदान दिया है। 'स्वर कथा' का मकसद आपको सनातन धर्म के महत्व को समझने और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने में मदद करना है। अगर आप भारतीय सभ्यता और उसकी शाहदार संस्कृति के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए किसी भी लिंक के जरिए 'स्वर कथा' चैनल से जुड़ें।

सौजन्य - स्वर कथालिंक - 'SwarStories', 'Swar Katha India', 'Swar Katha'



अंक ज्योतिष भविष्यवाणी • 22 सितम्बर 2026

दिन का अंक: 5 | बदलाव, संवाद, गतिशीलता, स्वतंत्रता और नए अवसरों का दिन।

मूलांक 1 | नेतृत्व करते हुए लचीले रहें

आपका आत्मविश्वास विषयों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन आज योजनाओं में बदलाव या अचानक नई जानकारी मिल सकती है। मुख्य उद्देश्य को बनाए रखते हुए परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालें। तथ्य स्पष्ट हों तो तेज निर्णय लाभ दे सकता है, लेकिन अधीरता से बचें।

मूलांक 2 | संवाद भावनात्मक दबाव कम करेगा

कोई बातचीत ऐसी स्थिति को समझने में मदद कर सकती है जो कुछ समय से अस्पष्ट लग रही थी। खुलकर बात करें, लेकिन सामने वाले के हर स्वर या मनोदशा पर प्रतिक्रिया न दें। नई जानकारी आपका दृष्टिकोण बदलकर रिश्ते या साझेदारी को सहज बना सकती है।

मूलांक 3 | नए विचार रोमांचक संभावनाएं बना सकते हैं

आज रचनात्मकता, संवाद और सामाजिक संपर्क विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। अचानक हुई चर्चा, नया परिचय या अलग वातावरण आपको प्रेरित कर सकता है। विविधता का आनंद लें, लेकिन हर संभावना के पीछे भागने के बजाय एक अच्छे विचार को आगे बढ़ाएं।

मूलांक 4 | अपनी योजनाओं को विकसित होने की जगह दें

अचानक बदलाव आपकी व्यवस्थित प्रवृत्ति को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वे अधिक प्रभावी तरीका भी दिखा सकते हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां व्यवस्थित रखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव के लिए खुले रहें। आज का लचीलापन समय और अनावश्यक मेहनत दोनों बचा सकता है।

मूलांक 5 | आज आपका स्वाभाविक अंक विशेष रूप से समर्थित है

आज का अंक आपकी अनुकूलन क्षमता, जिज्ञासा और संवाद कौशल के साथ विशेष सामंजस्य बनाता है। यात्रा, संपर्क, बैठकें, अध्ययन और नए अवसर गति पकड़ सकते हैं। सक्रिय ऊर्जा का आनंद लें, लेकिन जल्दबाजी के खर्च, बिखरे ध्यान और अनावश्यक प्रतिबद्धताओं से बचें।

मूलांक 6 | रिश्तों में ताजगी लाएं

परिवार और करीबी रिश्तों में हल्का और लचीला दृष्टिकोण लाभ दे सकता है। दिनचर्या में छोटा बदलाव, बाहर जाना या खुली बातचीत अपनापन लौटा सकती है। सहयोग करें, लेकिन हर बात को अपने अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश न करें।

मूलांक 7 | नई दिशा को समझदारी से खोजें

आज किसी नए विषय, तरीके या दिशा के प्रति जिज्ञासा बढ़ सकती है। शोध लाभकारी रहेगा, लेकिन केवल रोचक लगने के कारण पहले उत्तर को अंतिम न मानें। खोज के साथ अपनी गहरी अवलोकन क्षमता का भी उपयोग करें।

मूलांक 8 | रणनीति बदलें, अपने मानदंड नहों

करियर या धन से जुड़े विषयों में तरीका जल्दी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। रास्ता बदलते हुए भी दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। दबाव में जोखिम भरे निर्णय से बचें; अनुशासन और स्पष्ट सीमाओं के साथ लचीलापन अधिक लाभ देगा।

मूलांक 9 | बेचैनी को उद्देश्यपूर्ण गति में बदलें

आज यात्रा, संवाद, किसी काम को पूरा करने या एक जैसी दिनचर्या से बाहर निकलने की इच्छा हो सकती है। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें और अनावश्यक टकराव से बचें। नया तरीका किसी लंबे समय से अटक के विषय को सुलझाने में मदद कर सकता है।

कॉल / व्हाट्सएप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in

फेसबुक • इंस्टाग्राम • यूट्यूब: @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

गणेशोत्सव: तिलक के विचारों से डिजिटल युग के उत्सव तक

10 दिन, 10 संकल्प — उत्सव की भव्यता से अधिक महत्वपूर्ण है समाज की एकजुटता

लेखक : सागर दीपकराव वझारे
परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक नासिक

जब महाराष्ट्र में गणपति का आगमन होता है, तब केवल घरों में आरती नहीं होती; पूरे शहर की धड़कन ही बदल जाती है। गलियां और रास्ते सज जाते हैं, चौक जीवंत हो उठते हैं, ढोल-ताशों की गूंज वातावरण में भर जाती है और आम नागरिक भी इस उत्सव का हिस्सा बन जाता है।

लेकिन इस उत्सव के पीछे एक बड़ा सवाल भी है—

क्या हम केवल उत्सव मना रहे हैं, या उत्सव के माध्यम से समाज की निर्माण भी कर रहे हैं ?

तिलक ने उत्सव को दिया सार्वजनिक स्वरूप

महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की कुछ परंपराएं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से पहले ही मौजूद थीं। लेकिन तिलक ने गणेशोत्सव को व्यापक सार्वजनिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया तथा समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने के लिए इसका प्रभावी उपयोग किया।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक मंच सामाजिक संवाद और सामूहिक जनजागृति के महत्वपूर्ण माध्यम थे। व्याख्यान, कीर्तन, नाटक, संगीत, कविता और चर्चाओं के माध्यम से समाज की चेतना को दिशा देने का कार्य हुआ। संदेश स्पष्ट था—

लोगों को एक साथ लाने वाला उत्सव सामाजिक परिवर्तन का मंच

बन सकता है।

आज ब्रिटिश शासन इतिहास बन चुका है। लेकिन समाज के सामने मौजूद चुनौतियां बदल गई हैं—सोशल मीडिया के माध्यम से ध्रुवीकरण, अफवाहें और गलत जानकारी, पर्यावरण की समस्याएं, ध्वनि प्रदूषण, नशे की लत, सामाजिक दूरी और बढ़ता व्यक्तिवाद।

इसलिए परंपरा को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि परंपरा को आज की पीढ़ी की भाषा दी जाए। मंडप से मोबाइल स्क्रीन तक गणेशोत्सव ने डिजिटल युग में प्रवेश कर लिया है।

ऑनलाइन दर्शन, सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल प्रसारण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और विभिन्न तकनीकों ने उत्सव की पहुंच को मंडप से बहुत आगे तक पहुंचा दिया है।

लेकिन हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए— क्या तकनीक हमें जोड़ रही है, या केवल हमारे प्रदर्शन का विस्तार कर रही है ?

परंपरा और तकनीक के बीच संघर्ष आवश्यक नहीं है। दोनों के बीच संवाद होना चाहिए।

यदि तकनीक का उपयोग सामाजिक संदेश, पर्यावरण जागरूकता, सेवा गतिविधियों और सकारात्मक विचारों को पहुंचाने के लिए किया जाए, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ सकता है।

युवाओं को रोकना नहीं; दिशा देना है। गणेशोत्सव में युवाओं की ऊर्जा महाराष्ट्र की बड़ी ताकत है। युवाओं के उत्साह को दबाने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा देना

अधिक महत्वपूर्ण है।

युवा मंडल आगे बढ़कर इन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं—

* सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन
* रक्तदान
* पर्यावरण संरक्षण
* स्वच्छता
* नशामुक्ति
* महिला सुरक्षा
* सामाजिक एकता
* डिजिटल जागरूकता
* समाजसेवा
ढोल-ताशों का उत्साह बना रहे। उत्सव की रंगत भी बनी रहे। लेकिन उसके साथ एक उद्देश्य भी होना चाहिए।

पुणे और मुंबई : संस्कृति की दो बड़ी खिड़कियां पुणे महाराष्ट्र की बौद्धिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ शहर है। मुंबई विविधता, व्यापक सहभागिता और अद्भुत ऊर्जा का प्रतीक है। गणेशोत्सव के दौरान ये दोनों शहर यह दिखाते हैं कि संस्कृति अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक मंच पर ला सकती है। इस लिए उत्सव भव्य हो; लेकिन जिम्मेदार भी हो।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, यातायात, नागरिक अनुशासन और समाज के अन्य नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्सव मनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही गणेशोत्सव अनेक स्थानीय व्यवसायों और पेशेवरों को भी प्रोत्साहन देता है— कलाकार, मूर्तिकार, सजावटकार, प्रकाश व्यवस्था से जुड़े लोग, संगीतकार, फूल विक्रेता, खाद्य व्यवसाय, परिवहन, सुरक्षा और डिजिटल सेवाएं। इसलिए गणेशोत्सव केवल

धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं है। यह एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितिकी तंत्र भी है।

10 दिन — 10 संकल्प
इन दस दिनों को दस अर्थपूर्ण संकल्पों से जोड़ें—
1. सामाजिक एकता
गणपति के माध्यम से समाज को जोड़ें; विभाजन पैदा न करें।
2. स्वच्छता
प्लास्टिक और कचरे को कम करके स्वच्छ उत्सव मनाएं।
3. ध्वनि संयम
उत्सव और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखें।
4. युवा नेतृत्व
युवाओं को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी दें।
5. समाज के लिए तकनीक
डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक और सामाजिक संदेशों के लिए उपयोग करें।
6. महिलाओं की भागीदारी
महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा दें।
7. स्थानीय कलाकारों का सम्मान
स्थानीय कलाकारों, कारीगरों और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें।
8. नशामुक्ति
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जनजागृति करें।
9. स्वास्थ्य और सेवा
रक्तदान, स्वास्थ्य जांच और समाजसेवा को प्रोत्साहित करें।
10. संविधान और जिम्मेदार नागरिकता
समाजता, बंधुता, लोकतंत्र, कानून का सम्मान और नागरिक जिम्मेदारी को बनाए रखें।

उत्सव समाप्त होगा; संकल्प समाप्त नहीं होना चाहिए
गणेशोत्सव की सफलता केवल

मूर्ति की ऊंचाई, सजावट की भव्यता या जुलूस में शामिल भीड़ से नहीं मापी जानी चाहिए। उत्सव समाप्त होने के बाद समाज में क्या बचता है, इससे भी उसकी सफलता निर्धारित होनी चाहिए। यदि कोई मंडल किसी विद्यार्थी की सहायता करता है, किसी कलाकार को मंच देता है, रक्तदान शिविर आयोजित करता है, अपने परिसर को स्वच्छ करता है, सामाजिक सद्भाव बढ़ाता है या किसी व्यक्ति को नशामुक्ति की दिशा में सहायता करता है—तो उस उत्सव की सफलता उसकी दिखाई देने वाली भव्यता से कहीं अधिक बड़ी है। अगर आज तिलक हमारे बीच होते ?

शायद वे आज की पीढ़ी से एक सवाल पूछते— “समाज तक पहुंचने के लिए आपके पास इतने बड़े माध्यम हैं; फिर आप समाज को कौन-सा संदेश दे रहे हैं ?”

आज सार्वजनिक मंच केवल चौक, मंडप या जुलूस तक सीमित नहीं है। वह मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल समुदायों में भी मौजूद है। इसलिए आज की पीढ़ी के सामने अवसर भी बड़ा है और जिम्मेदारी भी।

भव्यता आंखों को आकर्षित करती है; विचार समाज को जोड़ते हैं। आइए, परंपरा और तकनीक का समन्वय करके, युवाओं की ऊर्जा को समाजसेवा से जोड़कर और भक्ति को सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा देकर गणेशोत्सव को और अधिक सार्थक बनाएं। गणपति के नाम पर समाज में दीवारें नहीं, पुल बनाएं।



गणपति की मूर्ति का विसर्जन होता है; लेकिन गणपति के विचारों और मूल्यों का विसर्जन नहीं होना चाहिए।

गणपति बप्पा मोरया ! समाज को जोड़ें। संस्कृति को संजोएं। तकनीक को अपनाएं। भविष्य का निर्माण करें।

© 2026 Sagar Deepakrao Vazare — All Rights Reserved
यह लेख लेखक की मौलिक साहित्यिक रचना है। इस लेख का कोई भी भाग, पूर्णतः या आंशिक रूप से, लेखक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना पुनर्मुद्रित,

पुनर्प्रकाशित, अनुवादित, रूपांतरित, संपादित, डिजिटल माध्यम से प्रसारित, सोशल मीडिया पर पुनर्प्रसारित या व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। All publication and reproduction rights reserved with the author.

आईआईएम रोहतक के विद्यार्थियों ने किया झज्जर का शैक्षणिक दौरा

डीसी वर्षा खांगवाल से की मुलाकात, प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास योजनाओं पर की चर्चा

झज्जर, 21 सितंबर
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के तहत झज्जर जिला का दौरा किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को नजदीक से समझा। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने डीसी वर्षा खांगवाल से मुलाकात की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वच्छता अभियानों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों ने प्रशासनिक व्यवस्था और योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर उत्सुकता से सवाल पूछे। डीसी वर्षा खांगवाल ने विद्यार्थियों के सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए



बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा विभागीय समन्वय, नियमित निगरानी और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब प्रशासन के साथ आमजन भी सक्रिय रूप से जुड़कर अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने स्वच्छता एवं जनजागरूकता अभियानों में नागरिकों की

सहभागिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी निशा तेंवर भी उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों



और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने में ग्राम पंचायतों, संबंधित विभागों और

फील्ड स्तर की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझने का

अवसर प्राप्त किया। इस दौरे के माध्यम से विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया को समझने में उपयोगी अनुभव मिला।

कुंजिया में 765 केवी सिकर-II –नरेला ट्रांसमिशन लाइन के सट्रिंगिंग कार्य का शुभारंभ

डीसी वर्षा खांगवाल ने किया सट्रिंगिंग कार्य का शुभारंभ डीसी ने कहा-विद्युत संप्रेषण ढांचे को मिलेगा मजबूती का आधार

झज्जर, 21 सितंबर
जिला झज्जर के गांव कुंजिया में 765 केवी डी/सी सिकर-II –नरेला ट्रांसमिशन लाइन के सट्रिंगिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। पावरग्रिड और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण विद्युत सम्प्रेषण परियोजना के सट्रिंगिंग कार्य के शुभारंभ अवसर पर डीसी वर्षा खांगवाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने डीसी वर्षा खांगवाल का स्वागत किया और ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कार्यों की जानकारी दी।



765 केवी की यह ट्रांसमिशन लाइन क्षेत्र के विद्युत पारेषण नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। डीसी वर्षा खांगवाल ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को कार्य के दौरान निर्धारित मानकों, सुरक्षा नियमों तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा

कि बड़े विद्युत पारेषण प्रोजेक्ट जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से परियोजना के कार्यों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया। डीसी ने ग्रामीणों को

प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बेहतर तालमेल के साथ जो यह प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वह पूरे प्रदेश व देश के विकास में अहम है। इस अवसर पर पावर ग्रिड के एजीक्यूटिव डायरेक्टर वार्ड के दीक्षित, के ई सी से एन के गुप्ता व पावरग्रिड जीएम गिरधर खंडेलवाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

वोटर लिस्ट में हर पात्र नागरिक का नाम दर्ज होना अनिवार्य : डीसी

30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराएं, पात्र युवा तुरंत भर्े फॉर्म-6 डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने जिला झज्जर के नागरिकों से की अपील

झज्जर, 21 सितंबर
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला झज्जर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर-2026 के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी

है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा अपात्र नामों को हटाकर सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे अपनी और परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी मतदाता सूची में अवश्य जांचें। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज करवाएं। पात्र युवाओं से

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वे मतदाता बनने के लिए तुरंत आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। **आगामी 30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां**
डीसी ने बताया कि एसआईआर-2026 के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। इनका निपटारा 28 अक्टूबर तक होगा तथा अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता नाम, पता, आयु, फोटो

सहित अन्य विवरणों की जांच कर त्रुटि मिलने पर समय रहते सुधार के लिए आवेदन करें। **पात्र मतदाता फॉर्म-7 व 8 से भी कर सकते हैं आवेदन**
डीसी ने बताया कि मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन के लिए फॉर्म-8 तथा मृत, अपात्र या अन्य स्थान पर पंजीकृत मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के बीएलओ, ईआरओ अथवा ईआईआरओ से संपर्क कर सकते हैं।



डीसी वर्षा खांगवाल ने समाधान शिविर में की जनसुनवाई

झज्जर, 21 सितंबर
हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए जनसेवा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुनवाई के लिए समाधान शिविर लोगों की शिकायतों के निदान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने कही। वे सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में लगे समाधान शिविर में उपस्थित अधिकारियों व शिकायत लेकर आये लोगों से संवाद कर रही थीं। डीसी ने समाधान शिविर में आये लोगों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारियों को समाधान बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा

कि हरियाणा सरकार द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर लोगों की समस्याओं के निदान का केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को जिला व उपमंडल स्तरीय पर आयोजित समाधान शिविर में अधिकारी जनसमस्याओं का निराकरण करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन से साझा भी कर रहे हैं। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि हर वर्ग की समस्या को सुना जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए। इसी उद्देश्य से हरियाणा में आयोजित समाधान शिविर आमजन की समस्या के निवारण के लिए अहम साबित हो रहे हैं। आमजन द्वारा शिविर की सराहना की जा रही है क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक बेहतर मंच मिला है, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी

एक छत के नीचे मौजूद रहकर उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है कि नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान किया जाए। इन समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि हर नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। **प्रशासनिक स्तर पर सजग है विभाग : डीसी**
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर समाधान शिविर में आ रहे हैं और जिला प्रशासन समस्याओं के निदान को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। आमजन की समस्याओं को लेकर जिला के अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

समाधान शिविर में अब तक रखी गई ज्यादातर शिकायतों का समाधान किया जा चुका है व जो लंबित हैं उनका भी समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने समस्याओं के निर्धारित समय में त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए तथा अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर के दौरान नागरिक परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अन्य सरकारी योजनाओं तथा पुलिस विभाग से जुड़े मुद्दे लेकर पहुंचे थे। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास सहित प्रॉमिनेंट पर्सन लुनी लाल व सुरेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

नशामुक्त युवा, विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

– गांव लाडपुर में युवाओं को नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लिया नशा मुक्ति का संकल्प – युवाओं ने नशामुक्ति का संदेश देने के साथ प्रश्नोत्तरी में भी उत्साहपूर्वक लिया भाग

परिवहन विशेष न्यूज

बादली(झज्जर), 21 सितंबर।
डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने तथा नशामुक्त भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत –झज्जर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गांव लाडपुर, खंड बादली में ‘नशामुक्त युवा, विकसित भारत’ राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपनिदेशक अशदीप ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि नशा मुक्ति के इस संकल्प को केवल शपथ तक सीमित न रखते हुए अपने



जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा स्वयं नशे से दूर रहते हुए अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। **हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लिया नशा मुक्ति का संकल्प**
कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं एवं

नागरिकों ने नशामुक्त भारत के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। युवाओं ने नशामुक्ति का संदेश देने के लिए चित्र खिंचवाने की गतिविधि में भी भाग लिया। इसके साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। **नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका**
कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं एवं

नागरिकों ने नशे से दूर रहने तथा समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर मेरा युवा भारत –झज्जर से नीलम, पूनम, हनी, दीपक और रवि उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए युवाओं को नशा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

सेवा सेतु मांड्यूल के तहत 15 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर लगेंगे विशेष कैप



नगर परिषद, नगरपालिका, ब्लॉक मुख्यालयों और गांवों में आयोजित होंगे सेवा सेतु कैप नागरिकों को नजदीकी स्थान पर मिलेंगी विभिन्न सरकारी सेवाएं

झज्जर, 21 सितंबर
सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला झज्जर में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए सेवा सेतु कैप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मनीष फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अक्टूबर तक निर्धारित कार्यक्रम के

अनुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर सेवा सेतु कैप लगाए जा रहे हैं। सीईओ ने बताया कि 22 सितंबर को झज्जर नगर परिषद की ओर से पीएम श्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर, 23-24 सितंबर को नगर परिषद बहादुरगढ़ तथा 25 सितंबर को नगरपालिका बेंरी में सेवा सेतु कैप आयोजित होगा। इसके बाद 26 सितंबर को झज्जर ब्लॉक मुख्यालय व गांव मांडोटी, 28 सितंबर को गांव दुजाना, 29 सितंबर को गांव सिलाना तथा 30 सितंबर को बहादुरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कैप लगाया जाएगा। इसी क्रम में 1 अक्टूबर को गांव रोहट, 3 अक्टूबर को गांव दिग्धल, 5 अक्टूबर को गांव दुबलधन, 6 अक्टूबर को बादली ब्लॉक मुख्यालय व मातनहेल ब्लॉक मुख्यालय, 7 अक्टूबर

को गांव बुपनिया तथा 8 अक्टूबर को गांव गुभाना में सेवा सेतु कैप आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को गांव खानपुर खुर्द व गांव पाटोदा, 10 अक्टूबर को गांव बिरोहड़, 12 अक्टूबर को माछरीली ब्लॉक मुख्यालय व गांव ढाकला, 13 अक्टूबर को गांव खुड्डन, 14 अक्टूबर को साल्हावास ब्लॉक मुख्यालय तथा 15 अक्टूबर को गांव भुरावास में सेवा सेतु कैप आयोजित किए जाएंगे। सीईओ मनीष फोगाट ने बताया कि सेवा सेतु कैप के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ नजदीकी स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, नागरिक अपनी समस्याएं एवं शिकायतें भी इन कैपों में दर्ज करवाकर उनका समाधान करवा सकेंगे।

लाल चौक पर गुंजा ड्राइवर के सम्मान का नारा: "ड्राइवर का सम्मान - देश का सम्मान"

16 सितंबर को संगोष्ठी, 17 सितंबर को घंटाघर से 'ड्राइवर डिग्नटी डे' का शंखनाद – प्रताप पार्क से लाल चौक तक भव्य वाॅकथॉन, देश भर के ट्रांसपोर्ट जगत ने दी हुंकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज देश के चालक भाई-बहनों के सम्मान, गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर से एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। रिपोर्ट:- विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की प्रगति के असली नायकों – 1 करोड़ से ज्यादा ड्राइवरों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की मुहिम है। दो दिन, दो ऐतिहासिक पड़ाव - क्या हुआ श्रीनगर में? 16 सितंबर 2026 - संगोष्ठी दिवस: श्रीनगर में चालकों के देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान, उनकी ज्वलंत समस्याओं, स्वास्थ्य, बीमा, सामाजिक सुरक्षा और उनके सम्मान की जरूरत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें देश भर के ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों ने मंथन किया। 17 सितंबर 2026 - डिग्नटी डे दिवस: जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक - घंटाघर से 'ड्राइवर डिग्नटी डे' का भव्य राष्ट्रीय आयोजन। प्रताप पार्क से लाल चौक तक आयोजित वाॅकथॉन में तिरंगे के साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए ड्राइवरों, ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह दृश्य कश्मीर



की वादियों में राष्ट्रीय एकता और श्रम सम्मान का प्रतीक बन गया। इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व *AIMTC ने किया जिस में मुख्य अतिथि और वरिष्ठ नेतृत्व में उपस्थित रहे – श्री हसीब उर रहमान, IPS, DIG ट्रैफिक कश्मीर - जिन्होंने ट्रैफिक सुरक्षा में ड्राइवर की भूमिका को सराहा। – श्री राम शंकर पांडेय, चेयरपर्सन, BARS – डॉ. जी.आर. शनमुगप्पा, चेयरमैन, AIMTC – AIMTC के पूर्व अध्यक्षों की गरिमामयी उपस्थिति: श्री गुरिंदर पाल सिंह, श्री बल मलकीत सिंह, श्री भीम वाधवा, श्री अमृत लाल मदान सहित पूरी राष्ट्रीय

कार्यकारिणी। देश के बड़े संगठनों ने दिया समर्थन - कौन-कौन जुड़ा? कार्यक्रम में परिवहन और ऑटोमोबाइल जगत की सभी बड़ी संस्थाओं ने एकजुटता दिखाई:- श्री अखिलेश श्रीवास्तव, ITS INDIA FORUM – श्री प्रसेनजीत पट्टाचार्य, फाउंडर, WWD – श्री उमर भट्ट, SACPE – श्री अनिल छिकारा, ट्रांसपोर्ट एडवाइजर AIMTC – श्री संजीव शर्मा, Sr. Vice President, Mobility Solutions, JK Tyres & Industries Ltd. साथ ही FADA, FICCI, ASDC,

ACMA, BHARAT SCOUTS AND GUIDES, ASIAN ACADEMY OF ROAD SAFETY, Kashmir Transport Federation, KTCC जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं ने सहभागिता कर इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। मूल संदेश क्या है? - क्यों जरूरी है यह अभियान? कार्यक्रम का मूल और एकमात्र संदेश रहा - “ड्राइवर का सम्मान - देश का सम्मान” AIMTC की 4 सूत्रीय मांग जो इस अभियान की आत्मा है: 1. सम्मान: ड्राइवर को 'सारथी' नहीं, 'राष्ट्र निर्माता' का दर्जा मिले। ढाबों, नाकों पर अपमान बंद हो।



2. सुरक्षा: हाईवे पर सुरक्षा, लूटपाट से बचाव, एक्सीडेंट में त्वरित इलाज और कानूनी सहायता। 3. स्वास्थ्य और कल्याण: हर ड्राइवर के लिए हेल्थ इश्योरेस, विश्राम गृह, बच्चों की शिक्षा। 4. अधिकार: सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, और श्रम कानूनों में ड्राइवर को संगठित क्षेत्र का दर्जा।

संपादकीय टिप्पणी- श्रीनगर से उठी आवाज दिल्ली तक सुननी होगी लाल चौक का घंटाघर हमेशा इतिहास का गवाह रहा है। इस बार वहां से ड्राइवर के सम्मान की चंटी बजी है। AIMTC ने जो किया है, वह सिर्फ एक वाॅकथॉन नहीं, बल्कि करोड़ों ड्राइवरों के आत्मसम्मान की पर्यात्रा है। देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसका ड्राइवर असुरक्षित, असम्मानित और असंगठित है। केंद्र सरकार, परिवहन मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों को AIMTC के इस रड्राइवर डिग्नटी डेर को राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल कर हर साल 17 सितंबर को राष्ट्रीय चालक सम्मान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। परिवहन विशेष परिवार AIMTC और उनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक पहल के लिए कोटि-कोटि बधाई देता है।

नजफगढ़ में महिला और परिवार की सुरक्षा पर सवाल, आरोपी पर कार्रवाई की मांग

पीड़िता का आरोप – लंबे समय से प्रताड़ना और धमकियां, जाफरपुर थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं, 20 सितंबर की घटना का वीडियो साक्ष्य होने का दावा रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में एक महिला और उसके परिवार ने एक स्थानीय युवक पर लगातार उत्पीड़न, अश्लील इशारे और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी गोपाल नगर एक्स्टेंशन, नजफगढ़ क्षेत्र का निवासी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी द्वारा लंबे समय से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। पीड़िता के मुताबिक कुछ महोने पहले आरोपी ने उनके घर के बाहर आकर हमला करने का प्रयास किया था, जिस दौरान उन्होंने आत्मरक्षा में पैपर रखे का उपयोग किया। पीड़िता ने बताया कि इस संबंध



में जाफरपुर कलां पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ताजा मामले में 20 सितंबर 2026 को आरोपी द्वारा छत से अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो साक्ष्य पीड़िता के पास होने का दावा किया गया है। तथ्य और मुख्य बिंदु: 1. आरोप: पीड़िता Ms Axxxxx और उनके परिवार का

आरोप है कि आरोपी अखिल यादव द्वारा निरंतर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। 2. पुलिस शिकायत: मामले की शिकायत जाफरपुर पुलिस स्टेशन, नजफगढ़ में दर्ज कराए जाने की बात कही गई है। 3. सुरक्षा की गुहार: पीड़ित परिवार ने DCP साउथ-वेस्ट दिल्ली और SHO जाफरपुर से मामले में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई

की अपील की है ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। 4. साक्ष्य का दावा: पीड़िता के अनुसार 20 सितंबर की घटना का वीडियो साक्ष्य उनके पास मौजूद है। > नोट: उपरोक्त सभी आरोप पीड़िता/शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। आरोपी पक्ष का बयान और पुलिस की आधिकारिक जांच अभी लंबित है। समाचार पत्र किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता।

महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज 26 सितम्बर से बोधगया में कहेंगे श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी) परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक वृंदावन बोधगया (बिहार)। रतन रोड़ स्थित धम्मा ग्रैंड होटल एंड रिसॉर्ट में मंगलायतन सेवा ट्रस्ट के द्वारा पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव दिनांक 26 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 पर्यन्त अत्यन्त श्रद्धा एवं भूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। जानकारी देते हुए रघूपूर रत्नरहें. डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महोत्सव के अंतर्गत नित्य प्रातः 08 बजे से 09 बजे तक तर्पण होगा। तत्पश्चात प्रातः 09 बजे 12 बजे तक व अपराह्न 03 से 07 बजे वेदवेद ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद्भागवत का मूल पाठ किया

जाएगा। इसके अलावा अपराह्न 04 बजे से 07 बजे तक अखण्ड दया धाम वृन्दावन/हरिद्वार के संस्थापक महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी भास्करानंद महाराज अपने श्रीमुख से देश-विदेश से आए असंख्य भक्तों-श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराएंगे। डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि 02 अक्टूबर को प्रातः 07 से 08 बजे तक तर्पण होगा तथा 09 से 12 बजे तक श्रीमद्भागवत मूल पाठ एवं श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा होगी। महाराजश्री की परमकृपापात्र शिष्या साध्वी कृष्णानंद महाराज ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने का अनुरोध किया है।



आसरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा धूमधाम से मनाया गया श्रीराधा अष्टमी महोत्सव

वृन्दावन के निकुंजवासी बाबा गोपाल दास 'लघुसखी' की पुण्य स्मृति में हुआ ये आयोजन (डॉ. गोपाल चतुर्वेदी) परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक वृंदावन बौटडा (पंजाब)। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर आसरा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा श्रीराधा अष्टमी का पावन महोत्सव दिवस धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया इस अवसर पर प्रातःकाल प्रथम रमेश नेत्रा के नेतृत्व में प्रेम सरोवर कुटिया भौंदर में छाले-कुलपे के लंगर आयोजित किया गया इसके अलावा भौंदर परिसर में भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया। जिसमें भक्तों-श्रद्धालुओं ने बह-वहकर भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन में गौशाला प्रबंधक कनैठी, सिरकी बाजार, बौटडा के प्रधान अशोक

कांस्त मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा गोपाल दास वैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा सेकंड व्यक्ति को लुह गोपाल की छवि से युक्त डिब्बों में ठाकुरजी का प्रसाद वितरित किया गया। देवफेयर सोसाइटी के प्रधान रमेश नेत्रा ने कहा कि राधा अष्टमी का पावन पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे धार्मिक अवसरों पर सेवा कार्य में योगदान देना धार्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि लंगर

सेवा केवल भोजन वितरित करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और समानता की भावना को भी गहरा करती है। इस दौरान प्रेम सरोवर कुटिया भौंदर के सदस्यों द्वारा भजन-कीर्तन किया गया साथ ही पूज्य बाबा गोपाल दास महाराज (लघु सखी) द्वारा रचित भजन को रात्रेश कुमार टिका सोनी ने गहर स्वर में प्रस्तुत किया। जिससे श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। कार्यक्रम में आसरा वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक रमेश नेत्रा, मनोज सिंगला, तरुण गोयल, अरवनी गांधिया, मनोहर ताल टुंटेजा, नरिंदर गुप्ता, बाल कृष्ण गर्ग, विनोद गुप्ता (पीएसपीसीएल), अशोक कांस्त, अरवनी गर्ग, कुश कुमार, राज कुमार नेत्रा, रेणु, गोली, संदीप गर्ग रेणु (प्रधान, वीर कोलीली), श्री सातार यादव रांध एवं गोयल एंड पार्टी के कृष्ण गोयल और देवराज गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सेनानी परिवार संगठन, मथुरा के द्वारा धूमधाम से मनाया गया राधा अष्टमी एवं स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज का प्रादुर्भाव महोत्सव

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी) परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक वृंदावन

वृन्दावन। परिक्रमा मार्ग/श्याम कुटी क्षेत्र स्थित हरे कृष्ण फार्म में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति रक्षा और उनके परिवारीजनों के हितों की रक्षा हेतु संपर्णित सेनानी परिवार संगठन, मथुरा के द्वारा राधा अष्टमी एवं बांके बिहारी महाराज के प्राकट्यकर्ता स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज का प्रादुर्भाव महोत्सव के अवसर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम श्रीहरिदास संप्रदाय के प्रमुख केन्द्र टटिया स्थान पर स्वामी श्रीहरिदास महाराज का पूजन अर्चन किया गया। साथ ही ठाकुरश्री मोहिनी बिहारी सरकार की दिव्य आरती की गई। इस अवसर पर हरे कृष्ण फार्म में प्रमुख कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में



मथुरा जनपद की समस्याओं पर भी गहन मंथन किया गया। साथ ही भारत को एक प्रगतिशील, विकसित, सशक्त और सम्पन्न राष्ट्र बनाने में सहयोग देने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में पथारे सभी आगंतुक अतिथियों का संस्था के अध्यक्ष रमेश चंद्र गर्ग, एडवोकेट ने पटका ओढ़ाकर और ठाकुर बांकेबिहारी महाराज के प्राकट्य कर्ता, संगीत सम्राट स्वामी हरिदास महाराज का चित्रपट भेंट कर स्वागत किया। बैठक का विश्राम सामूहिक

मधुराष्टक पाठ एवं खीर-मालपुआ के सुरुचि पूर्ण भोज और राधा रानी व स्वामी हरिदासजी महाराज की जय-जय कार के साथ हुआ। इस अवसर पर ब्रज सेवा संस्थान के अध्यक्ष रघूपूर रत्न र डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने एडवोकेट रमेश चंद्र गर्ग का ठाकुर जी का पटका प्रसादी पहना कर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। साथ ही प्रभु से उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप

माथुर, प्रमुख कांग्रेसी नेता सोहन सिंह सिसौदिया, अशोक चतुर्वेदी, संग्राम सिंह, प्रख्यात साहित्यकार 'यूपी रत्न' डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट, जगवीर चौधरी, लता चौहान, कीर्ति कौशिक, रवि सरिन, डॉ. राधाकांत शर्मा, राम बाबू शर्मा, श्रीचंद शर्मा, दिनेश बिंदल, राजेंद्र यादव, आशीष अग्रवाल, कुश कुमार एडवोकेट आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

‘प्रकृति प्रहरी : अधिकार से उत्तरदायित्व की ओर’ संवाद में ‘एक राखी पर्यावरण के नाम’ अभियान के परिणाम घोषित

शीर्ष 10 विद्यालयों को मिलेगा मोमेंटो एवं सम्मान-पत्र, 'एक विद्यालय, एक घोंसला' और 'सीड बॉल प्रोजेक्ट' का भी शुभारंभ रिपोर्ट मृत्युंजय ठाकुर परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक पटना / मुजफ्फरपुर

बिहार के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रतिष्ठित डिजिटल मंच 'टीचर्स ऑफ बिहार' (ToB) की पहल 'प्रकृति प्रहरी अभियान' के तहत 'प्रकृति प्रहरी : अधिकार से उत्तरदायित्व की ओर एक कदम' विषय पर विशेष फेसबुक लाइव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 'एक राखी पर्यावरण के नाम' अभियान के परिणामों की घोषणा की गई। टीचर्स ऑफ बिहार के आधिकारिक फेसबुक पेज पर आयोजित इस विशेष लाइव कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं शिक्षाविदों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सुभाष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, भागलपुर प्रमंडल, इन्द्रजीत कुमार सिंह, प्राचार्य, डायट रामबाग, मुजफ्फरपुर तथा सुजीत कुमार दास, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परिyoजन, सीतामढ़ी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 50 अंकों के मानकों पर हुआ विद्यालयों का मूल्यांकन

'एक राखी पर्यावरण के नाम' अभियान में राज्यभर के हजारों सरकारी विद्यालयों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन के लिए प्रकृति प्रहरी अभियान की 5-सदस्यीय विशेपज्ञ नूरी ने कुल 50 अंकों के निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया। मूल्यांकन में अभियान की स्पष्ट थीम एवं उद्देश्य, बच्चों की सक्रिय एवं व्यावहारिक सहभागिता, पर्यावरण-अनुकूल राखी का रचनात्मक प्रयोग, पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प तथा वीडियो प्रस्तुतीकरण एवं सामाजिक सहभागिता को आधार बनाया गया। प्रत्येक मानक के लिए 10-10 अंक निर्धारित थे। निर्धारित मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के शीर्ष 10 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों को विशेष स्मृति-चिन्ह (मोमेंटो) एवं सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। विद्यालयों में हरित वातावरण निर्माण की नई पहल कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण के विद्यालयी गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से दो नई राज्यस्तरीय पहलों—'एक विद्यालय, एक घोंसला' एवं 'सीड बॉल प्रोजेक्ट'—का भी शुभारंभ किया गया। 'एक विद्यालय, एक घोंसला' पहल के माध्यम से विद्यालय परिसर में पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित



करने तथा विद्यार्थियों में जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं 'सीड बॉल प्रोजेक्ट' के माध्यम से स्थानीय एवं देशज पौधों के संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा विद्यार्थियों की पर्यावरणीय सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। सामूहिक प्रयास से सफल हुआ आयोजन कार्यक्रम का संचालन प्रकृति प्रहरी अभियान के संयोजक अभिषेक कुमार, सह-संयोजक कुमार अभिषेक एवं प्रिया कुमारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में टीचर्स ऑफ बिहार की परिणामों की घोषणा के साथ विद्यालयों के लिए नई पर्यावरणीय पहलों को भी राज्यस्तर पर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संवाद कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को केवल अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक के उत्तरदायित्व के रूप में अपनाने का संदेश दिया गया। टेक्निकल टीम के लीडर शिवेंद्र प्रकाश सुमन एवं टेक्निकल टीम की सदस्य अनुपम प्रियदर्शनी का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा। वहीं प्रकृति

प्रहरी के साथ संयोजन में सिद्धांत जी की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। पूरे कार्यक्रम की दिशा एवं मार्गदर्शन में टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टीम के सामूहिक प्रयास से अभियान के परिणामों की घोषणा के साथ विद्यालयों के लिए नई पर्यावरणीय पहलों को भी राज्यस्तर पर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संवाद कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को केवल अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक के उत्तरदायित्व के रूप में अपनाने का संदेश दिया गया। टेक्निकल टीम के लीडर शिवेंद्र प्रकाश सुमन एवं टेक्निकल टीम की सदस्य अनुपम प्रियदर्शनी का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा। वहीं प्रकृति

दीपक जनता के पैसे से, सेवा पार्टी की ! -
क्या शासन ही बन गया है पार्टी का आयोजन

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर पूरा सरकारी अमला 'संकल्प सेवा अभियान' में झोंका गया – जनता के टैक्स से जलेंगे दीपक, विपक्ष मौन, मीडिया से पूछा जा रहा – सवाल कौन पूछेगा ?

प्रधान संपादक - संजय कुमार बाठला
परिवहन विशेष

सच की कीमत सच कहने की कीमत होती है... और आज के दौर में सच बोलना शायद सबसे महंगा काम है।
लोकतंत्र में सरकार और पार्टी अलग-अलग होती हैं. कम से कम किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है।
हुआ क्या है ? - आदेश सरकारी, काम पार्टी का
- प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन स्तर से सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बाकायदा लिखित निर्देश जारी किया है।
- इस निर्देश के तहत पूरे प्रशासनिक तंत्र को सत्तारूढ़ दल के 'संकल्प सेवा अभियान' में झोंक दिया गया है।
- एसडीएम से लेकर पटवारी, बीडीओ

से लेकर पंचायत सचिव तक सरकारी काम छोड़कर आयोजन की तैयारियों में लगे हैं।
- सरकारी गाड़ियां, सरकारी सभाकक्ष, सरकारी कर्मचारी - सब कुछ एक महीने तक चलने वाले दीपक, स्वागत, बैनर, तस्वीरों वाले कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं।
सवाल सत्ता से - क्या प्रशासन पार्टी कार्यालय का विस्तार है ? यह सबसे गंभीर संवैधानिक सवाल है।
- सरकारी पैसा जनता का है। सरकारी अधिकारी जनता के सेवक हैं। सरकारी मशीनरी किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है।
- संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 कहते हैं - राज्य किसी दल विशेष के लिए नहीं, सबके लिए काम करेगा।
- सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता बड़े अधिकारियों पर रौब जमाते नजर आते हैं, सरकारी मशीनरी से अपने कार्यक्रम करवाते हैं। प्रशासनिक तंत्र मानो सरकारी नहीं, पार्टी कार्यालय का विस्तार बन गया है।
- सवाल है - यह शासन है या पार्टी का आयोजन तंत्र ?
सवाल विपक्ष से - जिला प्रशासन के छोटे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर चुप्पी क्यों ? लोकतंत्र में विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछना है।
- लेकिन जिला प्रशासन के छोटे से छोटे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला विपक्ष



इस पूरे मामले पर खामोश है।
- कोई बयान नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विधानसभा में ध्यानकर्षण नहीं।
- क्या यह मौन सहमति है ? क्या सत्ता और विपक्ष में अंदरखाते समझौता हो गया है

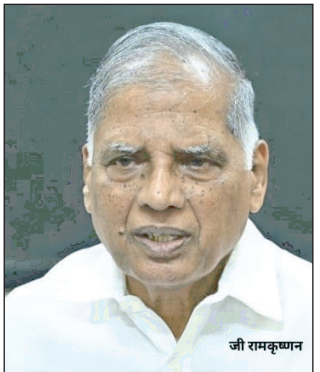
कि तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहेंगे ?
सवाल मीडिया से - हमें ही क्यों लोकतंत्र का ठेका लेना है ? जब सत्ता से सवाल पूछने वाले ही चुप हों तो पत्रकार भी सोचता होगा - भाई, हमें ही क्यों लोकतंत्र का ठेका लेना है ?

- आज सच बोलने वालों को डर किससे लग रहा है ?
- सत्ता से ? पद से ? विज्ञापन से ? या उस व्यवस्था से जिसमें सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है ?
सबसे बड़ा सवाल - जनता के पैसे का

हिसाब कौन देगा ? एक महीने तक दीपक जलेंगे, स्वागत होगा, कार्यक्रम होंगे, तस्वीरें होंगी, बैनर लगेंगे और सरकारी तंत्र पूरी ताकत से आयोजन को सफल बनाने में जुटा रहेगा।
बस एक चीज पूछना मना है - इस पूरे

आयोजन का खर्च कौन उठा रहा है ?
जवाब है - जनता।
और बदले में जनता को क्या मिल रहा है ? शायद एक दीपक जिसे जलाने के लिए उसका अपना पैसा इस्तेमाल हो रहा है।
परिवहन विशेष की संपादकीय टिप्पणी - दीपक नहीं, सवाल की रोशनी जरूरी है विडंबना देखिए - लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि सरकार जनता को ही अपने कार्यक्रमों का दर्शक बना देती है।
और फिर हम बड़े गर्व से कहते हैं - भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल है।
बस कभी-कभी लोकतंत्र का आईना सामने रखकर देख लेना चाहिए कि उसमें जनता दिखाई दे रही है या सिर्फ सत्ता का चेहरा।
दीपक जलाइए लेकिन यह भी याद रखिए कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी रोशनी दीपक की नहीं, सवाल की होती है।
क्योंकि जिस दिन जनता के सवाल बुझ गए, उस दिन हजारों दीपक जलाकर भी लोकतंत्र अंधेरे में ही रहेगा।
डिस्क्लेमर: यह संपादकीय जनहित, जनकल्याण और जनसूचना के उद्देश्य से जारी है। इसका उद्देश्य किसी दल विशेष का विरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर सवाल उठाना है।

सरकारी स्कूल बंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब छात्रों पर



प्रस्तुतकर्ता विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

लेख : जी रामकृष्णन, माकपा पोलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य और केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष

अनुवाद : संजय पराते, अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष

दिसंबर में, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में 7.37 लाख बच्चों का कोई भी स्कूल रिकॉर्ड नहीं है। वे किसी भी स्कूल – चाहे निजी हो या सरकारी – में नामांकित नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे आदिवासी बहुल जिलों से हैं और वे पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था से गायब हैं।
उदाहरण के लिए, झाबुआ और शिवपुरी में 29,000 बच्चे रडॉप बॉक्सर श्रेणी में आते हैं — यह शिक्षा विभाग का उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिनके स्कूल छोड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। राज्य के 55 जिलों में, 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में इस अकादमिक सत्र में कोई नया दाखिला नहीं हुआ है। वहीं, लगभग 6,500 स्कूलों में दस से भी कम नए दाखिले हुए हैं।
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन बच्चों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर

लगाएं, जिनके आंकड़ें अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं, उनसे सीधे संपर्क करें और उनकी जानकारी राज्य के पोर्टल पर अपलोड करें।
पूरे राज्य में, 11,38 लाख बच्चे "ड्रॉप बॉक्सर" श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, 1.23 लाख बच्चे पहले से ही स्कूल छोड़ने वालों (ड्रॉपआउट) की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही, 1.55 लाख बच्चों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उनके परिवार विस्थापित हो गए थे या काम के सिलसिले में दूसरी जगह चले गए थे। विभाग के खास आउटरचि प्रोग्राम - 'स्कूल चलें हम' और 'होम कॉन्टैक्ट केपेन' (घर-घर संपर्क अभियान) -- इसी समस्या को रोकने के लिए शुरू किए गए थे। राज्य के अपने ही योजना अंकेक्षण में पता चला कि 7.5 लाख बच्चे ऐसे थे, जिन तक इनमें से कोई भी योजना नहीं पहुँच पाई थी।
मध्य प्रदेश कोई अपवाद नहीं है। यह उस पैटर्न का सबसे साफ उदाहरण है, जो अब पूरे देश में फैल चुका है, और इस पैटर्न का एक ऐसा वर्गीय चित्र है, जिसे रैशनलाइज़ेशन (युक्तियुक्तकरण) जैसे सरकारी शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं।
सरकार के थिंक टैंक 'नीति आयोग' के अपने विश्लेषण में इसके आंकड़े दिए गए हैं : पिछले दशक में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं — यानी हर दिन औसतन 25 स्कूल -- जिसके कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में 2.26 करोड़ की कमी आई है। कुल दाखिलों में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 में 71 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 49.24 प्रतिशत रह गई है।
फरवरी में लोकसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से इस पैमाने की पुष्टि होती है। यू-डाइस+ के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर पर संख्या 2014-15 में 11.07 लाख से घटकर 2023-24 में 10.17 लाख हो गई है, जो लगभग 89,000 की कमी है और यह नीति आयोग के अपने आंकड़ों से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। इसी दशक में देश भर में प्राइवेट स्कूलों की संख्या



2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गई।
लोकसभा में दिए गए उसी जवाब में राज्यवार दी गई जानकारी, राष्ट्रीय स्तर के कुल आंकड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में 1.22 लाख थी, जो अगले ही साल घटकर 99,411 रह गई — यानी बारह महीनों में लगभग 22,600 स्कूलों की कमी आई। उसी साल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख हो गई, जो 25,000 से ज्यादा की कमी थी। हिंदी भाषी इलाके के देश के दो सबसे बड़े राज्यों में, जहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, एक ही अकादमिक वर्ष में लगभग एक ही रफ़्तार से स्कूल अधोसंरचना कम हुई है।
लोकसभा में संबंधित मंत्री ने कहा कि शिक्षा 'समवर्ती सूची' में है और इस स्थिति के लिए पूरी तरह से राज्य जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बात स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि 'शिक्षा का अधिकार' कानून, जिसके तहत आस-पास के इलाकों को स्कूल शुरू करने की व्यवस्था है, एक केंद्रीय कानून है और इसमें तय किए गए नियमों का पालन होना, केंद्र की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, अगर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने की शर्त पर स्कूलों के लिए फंड देकर राज्यों की स्कूलों शिक्षा को प्रभावित कर सकती है और भाषा

नीति भी लागू कर सकती है, तो वह निश्चित रूप से स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए भी कदम उठा सकती है, अगर वह चाहे तो।
जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग जानते हैं कि स्कूल बंद होने की घटनाओं को आबादी में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव या शहरों की ओर पलायन जैसी वजहों से नहीं समझाया जा सकता। बल्कि, यह एक सुनियोजित प्रशासनिक फैसला है, जो उन राज्यों में लिया गया है, जहाँ सबसे गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के पास बंद हो चुके स्कूल की कमी को पूरा करने की क्षमता सबसे कम है।
भारत में सरकारी स्कूल ऐसी निष्पक्ष सार्वजनिक सुविधा नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल उभी वर्गों के लोग समान रूप से करते हों। असल में, ये स्कूल मुख्य रूप से गरीबों के लिए हैं — यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के गरीब तबकों के बच्चों के लिए। दुनिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है, और सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में इन्हीं लोगों को समझने के लिए।
2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वे के एक विश्लेषण से पता चला है कि मुफ्त शिक्षा तक पहुँच असमान रूप से कम हो रही है, और मुस्लिम, अनुसूचित जाति तथा स्कूलों के लिए फंड देकर राज्यों की स्कूलों सबसे नजदीकी स्कूलों से काफी हद तक



अलग-थलग रखा जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में स्कूलों को रैशनलेलाइज (युक्तियुक्तकरण) करने के कार्यक्रम पर आईरिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे अब चालू हालत वाले स्कूल तक पहुँचने के लिए रोजाना चार से छह किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार के तहत आस-पास स्कूल होने के नियम का उल्लंघन है। इस योजना के तहत 4,300 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए या दूसरे स्कूलों में मिला दिए गए; लोकसभा के अपने यू-डाइस+ आंकड़ों के अनुसार, राज्य में स्कूलों की संख्या 2020-21 में 23,167 से घटकर 2022-23 तक 18,785 रह गई, जबकि राज्य विधानसभा में अलग से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के लगभग 13,000 पद खाली पड़े हैं।
इसका सबसे ज्यादा बोझ लड़कियों पर पड़ता है। जब नजदीकी स्कूल दूर हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं को स्कूल से हटा लिया जाता है। राज्य की 'युक्तियुक्तकरण' और 'दक्षता' की भाषा के कारण गरीब बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते हैं।
असल में युक्तियुक्तकरण का मतलब अक्सर यह होता है कि एक ही शिक्षक एक साथ पाँच कक्षाएं संभाल रहा होता है — वह न तो किसी बच्चे की पुष्टभूमि जान पाता है और न ही उसके हिसाब से पढ़ा पाता है; और तनहीकी रूप से यह शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्टॉफिंग और

गुणवत्ता के नियमों का उल्लंघन भी है।
ठीक यही आपत्ति ज्योतिराव फुले ने डेढ़ सदी पहले औपनिवेशिक सरकार के सामने उठाई थी। 1882 में हंटर कमीशन को दिए गए अपने ज्ञापन में फुले ने तर्क दिया कि शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का अहस्तक्षेप का रवैया — यानी पहले से ही सुविधा-संपन्न एक छोटे वर्ग की उच्च शिक्षा पर संसाधन झोंकना, जबकि आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा को कम फंड देना और उसे निजी व मिशनरी संस्थानों पर ज्यादा निर्भर बनाना — सरकार के बुनियादी कर्तव्य के साथ विश्वासघात था। उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा को निजी उद्यम या दान-पुण्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि गरीब, शूद्र और अति-शूद्र किसानों और मजदूरों के पास बाज़ार से वे चीज़ें खरीदने के साधन नहीं थे, जो उन्हें मुफ्त में नहीं मिलतीं।
2010 से लागू शिक्षा का अधिकार कानून, छह से 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को कभी भी इस गारंटी के दायरे में नहीं लाया गया; वे हमेशा निजी निवेश के लिए खुले रहे, ताकि जो लोग पैसे दे सकते हैं, वे भुगतान करें और जो नहीं दे सकते, उनके लिए सीमित सुविधाएँ हों। ऊपर बताए गए तरीकों से स्कूल बंद होने और उनके विलय की प्रवृत्ति से उस दायरे पर भी असर पड़ रहा है।

शिक्षा का अधिकार में इस बात पर कोई बाध्यकारी नियम नहीं है कि कक्षाओं में बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाएगी। यह ऐसे अधिकार देता है, जिन्हें बच्चे खुद नहीं मांग सकते — और माता-पिता, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के माता-पिता, के पास अक्सर इन्हें लागू करवाने की कानूनी और संस्थागत क्षमता नहीं होती। शिक्षा का अधिकार कानून यह मानकर चलता है कि सरकार, स्कूल और परिवार के बीच शक्ति का संतुलन है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। इसके कानूनी तौर पर लागू करवाने के प्रावधानों का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता है। स्कूल प्रबंधन कमेटियाँ, जो शिक्षा का अधिकार के तहत माता-पिता और समुदायों को अपनी बात रखने का एक औपचारिक जरिया हैं, उनकी बैठकें अक्सर नहीं हो पातीं।
जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि केरल में शिक्षा के क्षेत्र में मिली कामयाबी का श्रेय सार्वजनिक प्रयासों को जाता है। केरल राज्य की स्कूली शिक्षा से कई पक्ष जुड़े हैं : सरकार, शिक्षक, छात्र/अभिभावक और साथ ही मजदूरों और किसानों समेत नागरिक समाज। चूँकि बच्चे खुद के लिए पढ़ल नहीं कर सकते, और केरल के विपरीत, अभिभावक और नागरिक समाज इतने सशक्त नहीं हैं, इसलिए मुफ्त, अनिवार्य और अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा की गारंटी देना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।
शिक्षाविद अनिल सदगोपाल का तर्क है कि पिछले सौ सालों में भारतीय स्कूली शिक्षा का ढाँचा मूल रूप से नहीं बदला है। वे रसभी के लिए मुफ्त शिक्षा के विरोध की जड़ें 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनिवार्य शिक्षा बिल की हार में देखते हैं। इतने सालों बाद भी, सरकार का रवैया चिंताजनक है, वह उन चीजों को फ़ंड देती रहती है, जिनसे पहले से ही आगे बढ़ चुके लोगों को फ़ायदा होता है, जबकि ग्रामीण और दलित-आदिवासी गरीबों की शिक्षा को वह एक ऐसा खर्च मानती है, जिसे कम से कम किया जाना चाहिए।

भौतिक विज्ञान, दर्शन और वास्तविकता की प्रकृति

● डॉ. विजय गर्ग

लेखक डॉ. विजय गर्ग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

वास्तविकता क्या है ? क्या ब्रह्मांड ठीक वैसा ही है, जैसा हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी दुनिया भी मौजूद है ? सदियों से दर्शन तर्क और चिंतन के माध्यम से ऐसे प्रश्नों की खोज करता आया है। आधुनिक युग में भौतिक विज्ञान ने अवलोकन, गणित और प्रयोगों के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है। दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन जिज्ञासा एक ही है — अस्तित्व की प्रकृति को समझना।
शास्त्रीय भौतिक विज्ञान ने एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर प्रस्तुत की जो व्यवस्थित, नियमबद्ध और काफी हद तक पूर्वानुमान योग्य दिखाई देता था। न्यूटन के गति के नियमों ने इस विचार को मजबूत किया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति और गति के बारे में पूरी जानकारी हो, तो उसके भविष्य के

व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तविकता मापने योग्य और पर्यवेक्षक से स्वतंत्र प्रतीत होती थी।
लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान की खोजों ने इस तस्वीर को काफी बदल दिया। आईंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने बताया कि स्थान और समय पूर्णतः स्थिर नहीं हैं। वे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकते हैं। इससे भी आगे, क्वांटम यांत्रिकी ने ऐसी दुनिया सामने रखी, जिसमें कणों का व्यवहार हमारे दैनिक अनुभव और निश्चितता की सामान्य धारणा को चुनौती देता है।
क्वांटम स्तर पर प्रकृति हमेशा हमारे परिचित तरीके से व्यवहार नहीं करती। कण तरंग और कण दोनों जैसे गुण प्रदर्शित कर सकते हैं तथा क्वांटम प्रणालियाँ मापन से पहले संभावनाओं की अवस्था में हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि "कुछ भी संभव है"; बल्कि यह दर्शाता है कि बहुत छोटे स्तर पर प्रकृति के नियम हमारे दैनिक अनुभव से अलग तरीके से प्रकट होते हैं।
यहाँ एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न उठता है— क्या भौतिक विज्ञान वास्तविकता का स्वयं वर्णन करता है या केवल उसके बारे में बताता है, जिसे हम देख और माप सकते हैं ? वैज्ञानिक सिद्धांत प्रकृति को समझने के अत्यंत शक्तिशाली मॉडल हैं, लेकिन उनके गहरे अर्थों की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है।
पर्यवेक्षक की भूमिका भी भौतिक विज्ञान और दर्शन के मिलन का एक रोचक विषय है। क्वांटम यांत्रिकी में मापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे चेतना, ज्ञान तथा पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित के बीच संबंध को लेकर दार्शनिक चर्चाओं को बल मिला है। हालाँकि यह कहना उचित नहीं होगा कि भौतिक विज्ञान यह सिद्ध करता है कि मानव चेतना अपने आप भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है।

ब्रह्मांड विज्ञान ने इन प्रश्नों को सबसे बड़े स्तर तक पहुँचा दिया है। बिग बैंग मॉडल एक ऐसे विकसित होते ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, जो अत्यंत गर्म और सघन अवस्था से फैलता आया है। ब्रह्मांड के विस्तार, कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि और आकाशगंगाओं की विशाल संरचना से जुड़ी खोजें ने हमारी समझ को बदल दिया है। फिर भी कई गहरे प्रश्न अनुत्तरित हैं— ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों है ? इसके आरंभिक क्षणों में क्या हुआ ? डाक मैटर और डाक एनर्जी की वास्तविक प्रकृति क्या है ? क्या हमारा ब्रह्मांड अद्वितीय है ?
दर्शन उन प्रश्नों को भी उठाता है, जिनका उत्तर केवल भौतिक विज्ञान नहीं दे सकता। भौतिक विज्ञान यह

समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है, जबकि अर्थ, मूल्य, उद्देश्य और नैतिकता जैसे प्रश्न व्यापक दार्शनिक और नैतिक चिंतन से जुड़े हैं। विज्ञान हमें बता सकता है कि क्या संभव है और किसी परिस्थिति में क्या होता है, लेकिन वह अपने आप यह निर्धारित नहीं करता कि नैतिक रूप से सही क्या है।
इसलिए भौतिक विज्ञान और दर्शन हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता को समझना केवल तथ्यों को एकत्र करना नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के पूरक होने का

दार्शन वैज्ञानिक सिद्धांतों की अवधारणाओं, आधारभूत मान्यताओं और उनके प्रभावों की पड़ताल कर सकता है, जबकि भौतिक विज्ञान नए प्रमाणों के माध्यम से पुरानी दार्शनिक धारणाओं को चुनौती दे सकता है। विज्ञान की प्रगति ने मानव को स्थान, समय, पदार्थ, कारणता और निश्चितता जैसी अवधारणाओं पर

पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
शायद सबसे बड़ी सीख बौद्धिक विनम्रता की है। ब्रह्मांड हमारे दैनिक अनुभव से कहीं अधिक जटिल है। प्रत्येक बड़ी वैज्ञानिक खोज हमारे ज्ञान का विस्तार करती है, लेकिन साथ ही नए प्रश्न भी पैदा करती है।
भौतिक विज्ञान हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसके व्यवहार को समझने में मदद करता है। दर्शन हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि इस ज्ञान का अर्थ क्या है। दोनों मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता को समझना केवल तथ्यों को एकत्र करना नहीं है, बल्कि अपनी धारणाओं पर प्रश्न करना, ज्ञान की सीमाओं को अहंकार से परे लेना और अभी भी अनसुलझे रहस्यों के प्रति जिज्ञासु बने रहना है।
हम जितना गहराई से ब्रह्मांड को समझना का प्रयास करते हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि वास्तविकता केवल मापने की वस्तु नहीं— बल्कि समझने वाली एक गहरी पहेली भी है।

कोयले के ग्रेड की भी हो देशव्यापी जांच



डा राजकुमार यादव, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

लौह अयस्क के ग्रेड मामले में 65 खनन पट्टाधारकों को नोटिस के बाद उठी मांग; खदान से उद्योग तक हर खेप की गुणवत्ता जांचने का प्रस्ताव

जीसीवी, वजन, नमूना और भुगतान का हो डिजिटल मिलान; कोयला आपूर्ति में संभावित गुणवत्ता अंतर पर स्वतंत्र ऑडिट की मांग

राउरकेला। ओडिशा में लौह अयस्क के ग्रेड में कथित अनियमितताओं को लेकर 65 खनन पट्टाधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद अब कोयला कारोबार में भी गुणवत्ता और ग्रेड निर्धारण की व्यवस्था की व्यापक

जांच की मांग उठी है। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार यादव ने PMOPG/E/2026/ 0181763 के द्वारा इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर देशभर की कोयला खदानों में ग्रेड और सकल ऊष्मीय मान (जीसीवी) से संबंधित प्रक्रिया का स्वतंत्र परीक्षण कराने का आग्रह किया है।

ओडिशा सरकार द्वारा लौह अयस्क के मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्टों में ग्रेड में कथित हेरफेर और राजस्व संबंधी संभावित नुकसान का उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण जीसीवी, राख और नमी जैसे मानकों से होता है। कोल इंडिया की आधिकारिक यूटीटीएएम व्यवस्था के अनुसार घोषित और विश्लेषित जीसीवी में अंतर की शिकायतों के कारण तृतीय-पक्ष नमूना परीक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है।

राजकुमार यादव ने मांग की है कि पिछले पांच वर्षों के कोयला उत्पादन, ग्रेड निर्धारण और प्रेषण का विशेष लेखा-परीक्षण कराया जाए। साथ ही खदान से लेकर व्यापारी और अंतिम औद्योगिक उपभोक्ता



तक प्रत्येक खेप के ग्रेड, जीसीवी, वजन, नमूना, प्रयोगशाला रिपोर्ट, चालान तथा भुगतान का डिजिटल मिलान हो।

याचिका में नमूना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल सील और जीपीएस आधारित खेप पहचान

की व्यवस्था तथा स्वतंत्र मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच कराने का भी सुझाव दिया गया है। कोल इंडिया की मौजूदा व्यवस्था में नमूने के अलग-अलग हिस्से और विवाद की स्थिति में रेफरी नमूने की जांच का प्रावधान पहले से मौजूद है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि संभावित गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और सरकारी राजस्व तथा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राजीव कुमार राणा ईसीजीसी लिमिटेड बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक पद पर नियुक्त



रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग ने राजीव कुमार राणा को ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

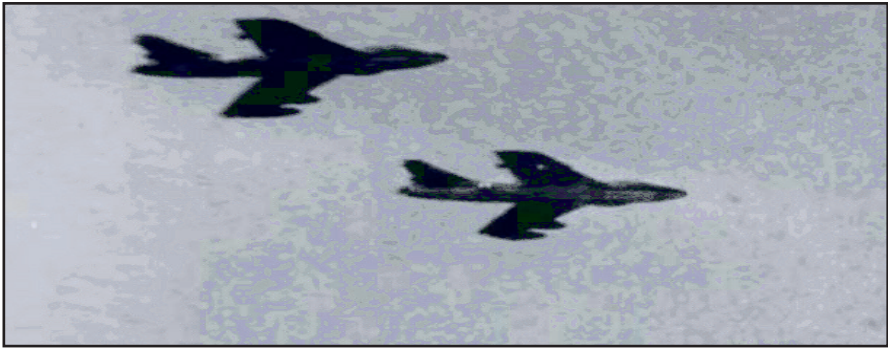
ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस का मुख्य कार्य

भारतीय निर्यातकों को बीमा और सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यदि विदेशी खरीदार भुगतान न करे तो निर्यातकों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के बाद की जाती है। यह एक सम्मानित और महत्वपूर्ण पद है। इस नियुक्ति के बाद राजीव राणा जी भारत की निर्यात नीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले बोर्ड का हिस्सा होंगे और अपने अनुभव से कंपनी को बिजनेस, मैनेजमेंट और

फाइनेंस के क्षेत्र में सलाह देंगे। यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 07 सितंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 20/12/2026-ईओ(पीई) के अनुसार, ईसीजीसी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 63 के तहत की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित यह नियुक्ति 16 सितंबर, 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और तीन वर्ष तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी। राणा जी ने बधाई देने वालों सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

वाराणसी में 25 अक्टूबर को गूंजेगा भारतीय वायु सेना का शौर्य



नमो घाट पर ‘इंडियन एयर फोर्स एरियल डिस्प्ले-2026’, मध्य वायु कमान की गौरवशाली विरासत भी होगी प्रदर्शित

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र वाराणसी

नमो घाट पर 25 अक्टूबर 2026 को ‘इंडियन एयर फोर्स एरियल डिस्प्ले-2026’ का आयोजन किया जाएगा। गंगा के भव्य तट की पृष्ठभूमि में होने वाले इस हवाई प्रदर्शन में नागरिकों और आगंतुकों को भारतीय वायु सेना की सटीकता, व्यावसायिक दक्षता और उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन मध्य वायु कमान की छह दशकों से अधिक की

गौरवशाली यात्रा को भी प्रदर्शित करेगा। स्थापना के बाद से मध्य वायु कमान और इसके अधीनस्थ संगठनों ने चुनौतीपूर्ण परिचालन क्षेत्रों में युद्ध अभियानों के साथ-साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत और नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मध्य वायु कमान की परिचालन विरासत में 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध, मालद्वीप में ऑपरेशन कैच्टस तथा कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में योगदान शामिल हैं। इसके अलावा कमान के वायुयानों और वायु योद्धाओं ने निकासी, बाढ़ राहत, आकस्मिक चिकित्सा निकासी तथा विभिन्न मानवीय सहायता अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। युवाओं को प्रेरित करेगा एयर शो कटिन भूभागा और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावित लोगों तक

सहायता पहुंचाने की कमान की क्षमता भारतीय वायु सेना की राष्ट्रसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नमो घाट पर आयोजित होने वाला यह एयर शो वाराणसी के नागरिकों को भारतीय वायु सेना से करीब से जुड़ने का अवसर देगा।

आयोजन के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के साथ भारतीय वायु सेना की विविध भूमिकाओं, क्षमताओं और गौरवशाली सेवा परंपराओं के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। हवाई प्रदर्शन के समय, निर्धारित दर्शक क्षेत्रों, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश आयोजन की तिथि के निकट अधिकृत माध्यमों से जारी किए जाएंगे। आम नागरिकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने तथा जिला प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा कर्मियों और आयोजन से जुड़े अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की गई है।

वन विभाग के हाथों से फिसल जाएगा दुर्गापुर पहाड़ !



अवैध कब्जों और निर्माण से बड़ी चिंता, कार्रवाई के बावजूद कई सवाल कायम

डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक राउरकेला

शहर के प्रमुख प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थलों में शामिल दुर्गापुर पहाड़ को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। वन क्षेत्र में अवैध कब्जे और निर्माण की गतिविधियों के कारण पहाड़ के

संरक्षण पर चिंता बढ़ गई है। हाल के दिनों में वन विभाग द्वारा अवैध कथित अवैध कार्यालय निर्माण को जाने के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा।

दुर्गापुर पहाड़ पर धार्मिक आस्था से जुड़े कई स्थल मौजूद हैं। यहां वर्षभर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। सुंदर प्राकृतिक वातावरण और हरियाली के कारण यह क्षेत्र शहर के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों

में भी गिना जाता है। आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार, दुर्गापुर पहाड़ पर वैष्णोदेवी मंदिर भी स्थित है।

इसी बीच वन विभाग ने सितंबर की शुरुआत में दुर्गापुर पहाड़ पर एक कथित अवैध कार्यालय निर्माण को ध्वस्त किया था। विभाग के अनुसार, निर्माण दुर्गापुर आरक्षित वन क्षेत्र में था और स्वीकृत क्षेत्र से अधिक भूमि पर निर्माण किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2023

में संबंधित स्थान पर 0.01 डिसमिल भूमि के लिए अनुमति थी, जबकि निर्माण को कथित रूप से 0.015 डिसमिल तक बढ़ा दिया गया था। नोटिस के बाद निर्धारित अवधि तक कोई जवाब या स्वामित्व दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर विभाग ने कार्रवाई की।

कार्रवाई के बावजूद स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि दुर्गापुर पहाड़ की सीमाओं का स्पष्ट संवेक्षण कराया जाए और वन भूमि

पर किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पहले से मौजूद निर्माणों की वैधता की जांच कर वन क्षेत्र, पर्यावरण और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई जा रही है। *अब सवाल यही है—दुर्गापुर पहाड़ को अतिक्रमण से बचाने के लिए कार्रवाई केवल कुछ निर्माणों तक सीमित रहेगी या पूरे क्षेत्र का स्थायी संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ?*

44वीं वाहिनी एसएसबी में हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ

“हिंदी सीखो, हिंदी बोलो और हिंदी पर गर्व करो” थीम पर 14 दिनों तक खेमी विभिन्न प्रतियोगिताएं

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र नरकटियागंज

44वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), नरकटियागंज के वाहिनी मुख्यालय परिसर में बल मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली के निर्देशानुसार हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट श्री बलवंत सिंह नेगी के मार्गदर्शन एवं द्वितीय कमान अधिकारी श्री गोविंद कुमार ठाकुर की उपस्थिति में हुआ। हिंदी पखवाड़ा 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

14 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान बलकर्मियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।



इनमें हिंदी निबंध लेखन, वाद-विवाद, स्वरचित कविता पाठ, हिंदी टंकण, प्रश्नोत्तरी तथा शब्दावली प्रतियोगिता शामिल हैं। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष

2026 के हिंदी पखवाड़ा का थीम ‘हिंदी सीखो, हिंदी बोलो और हिंदी पर गर्व करो’ रखा गया है।

इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को

बढ़ावा देना तथा कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कमांडेंट श्री बलवंत सिंह नेगी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और राष्ट्र को जोड़ने वाला सूत्र है। उन्होंने दैनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में गर्व के साथ हिंदी का प्रयोग करने तथा कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि तकनीक के वर्तमान दौर में हिंदी में काम करना एक अपेक्षा नहीं और भी आसान हो गया है। इसलिए सभी बलकर्मियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित होना चाहिए।

कार्यक्रम में श्री ज्ञानेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट, 44वीं वाहिनी, श्री तरुण यादव, सहायक कमांडेंट, निरीक्षक/सामान्य बलवीर राम सहित वाहिनी मुख्यालय में उपस्थित सभी बलकर्मियों ने बड़-चढ़कर भाग लिया।

भाजपा सरकार की नीतियों पर बीजद का हमला तेज, अपने ही गढ़ में उठे सवाल

एमएमडीआर संशोधन, महंगाई, बेरोजगारी और लंबित परियोजनाओं को बनाया मुद्दा ब्राह्मणी क्लब में प्रेस वार्ता, लेकिन क्षेत्रीय विधायक की गैरमौजूदगी बनी चर्चा का विषय

डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक राउरकेला

भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजू जनता दल (बीजद) ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। रविवार को ब्राह्मणी क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी नेताओं ने एमएमडीआर कानून में संशोधन, महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार तथा राउरकेला की लंबित विकास परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए।

बीजद नेताओं ने आरोप लगाया कि एमएमडीआर कानून में संशोधन से ओडिशा के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं तथा निवेश और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों और राज्य सरकार की कथित चुप्पी को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग पर बढ़ते दबाव तथा छोटे कारोबारियों के सामने आ रही समस्याओं को भी पार्टी ने प्रमुख मुद्दा बनाया।

पत्रकार वार्ता में बीजद ने आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के साथ-साथ महिलाओं, युवाओं, छात्रों, किसानों और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की। विशेष राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और राज्य के खनिज संसाधनों पर

अधिकार जैसे विषय भी पार्टी के निशाने पर रहे।

राउरकेला की परियोजनाओं पर सरकार को घेरा

राउरकेला से जुड़े मुद्दों पर बीजद नेताओं ने मेडिकल कॉलेज-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, विमानतल सहित विभिन्न लंबित परियोजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। औद्योगिक विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। हालांकि, इसी प्रेस वार्ता को लेकर एक अलग राजनीतिक चर्चा भी सामने आई। कार्यक्रम राउरकेला के उस क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान नगर विधायक करते हैं, लेकिन वे पत्रकार वार्ता में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर



स्थानीय राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रही। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक दूरी अथवा भाजपा के प्रति उनके संभावित झुकाव के संदर्भ में देखा, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

वहीं, बीजद द्वारा राउरकेला की जिन परियोजनाओं और विकास संबंधी कथित विफलताओं को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए गए, उनमें से कई मुद्दे स्थानीय जनप्रतिनिधित्व से भी जुड़े

हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषण का एक सवाल यह भी है कि यदि ये समस्याएं लंबे समय से क्षेत्र में बनी हुई हैं, तो इनके लिए केवल वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पिछले कार्यकालों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सार्वजनिक बहस क्यों न हो। विशेष रूप से यह तथ्य भी चर्चा में रहा कि संबंधित विधायक पूर्व में भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए बीजद के

आरोपों में उठाए गए राउरकेला के विकास संबंधी मुद्दे राजनीतिक रूप से केवल भाजपा सरकार तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधित्व और शासन की जवाबदेही का प्रश्न भी खड़ा करते हैं।

पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एवं प्रदेश बीजद उपाध्यक्ष देवीप्रसाद मिश्रा, जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न मिश्रा, जयंत कुमार मिश्रा, प्रशांत सेठी, बीरेन सेनापति और सुदाम दास सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

चक्रवात को लेकर बड़ा अपडेट, मुख्य सचिव ने कहा- 11 जिले होंगे प्रभावित

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: उत्तर अंडमान सागर और उससे सटे क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर सोमवार को पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर अवदाब में बदल गया है। इसके चलते चक्रवात की आशंका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्य सचिव अनुगर्ग ने स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवात में नहीं, बल्कि गहरे अवदाब में बदलने की संभावना है। इसका असर राज्य के 11 जिलों पर पड़ेगा। मंगलवार से बारिश शुरू होगी, जबकि 23 और 24 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय और दक्षिण ओडिशा के जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंद्रावती और तेलिंगिरी बांधों में जलस्तर कम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं, IMD के महानिदेशक मयूजय महापात्र ने बताया कि गहरे अवदाब के प्रभाव से दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश होगी। पूरी के दक्षिण में स्थित जिले सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। 12 सितंबर की शाम से 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 123 और 24 सितंबर को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। 125 सितंबर तक आंतरिक ओडिशा में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, यह अवदाब और मजबूत होकर मंगलवार को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे अवदाब में बदल सकता है। इसके बाद 23 सितंबर की सुबह तक इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट के पास पहुंचने की संभावना है। हालांकि, गहरा अवदाब चक्रवात में बदलेगा या नहीं, इस संबंध में भारतीय मौसमविभाग (IMD) ने अभी कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य में पहले से बारिश जारी है। सोमवार से विभिन्न जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गहरे अवदाब के बनने के बाद बुधवार से दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। क्षेत्रीय मौसमविभाग के अनुसार, सोमवार को 18 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जागतसिंहपुर, कटक, क्यॉरझ और मयूरभंज में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके

सड़क सुरक्षा केवल नियमों से संभव नहीं (Road safety is not possible only with rules.)



साहित्यकार अवनीश कुमार गुप्ता

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष

समाचार पत्र दैनिक

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ अब केवल यातायात व्यवस्था की समस्या नहीं रह गई हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासनिक क्षमता, शहरी नियोजन, वाहन तकनीक और नागरिक संस्कृति की संयुक्त परीक्षा बन चुकी है। विडंबना यह है कि जिस देश में सड़कें आर्थिक विकास की जीवनरेखा हैं, उन्हीं सड़कों पर हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। भारत के पास दुनिया के कुल वाहनों का लगभग एक प्रतिशत होने के बावजूद वैश्विक सड़क यातायात मौतों में उसकी हिस्सेदारी करीब 11 प्रतिशत बताई जाती है। यह आंकड़ा केवल दुर्घटनाओं की भयावहता नहीं बताता, बल्कि उस व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर करता है, जिसमें सड़क पर निकलना आज भी अनेक लोगों के लिए जोखिम भरा है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सड़क परिवहन मंत्रालय से उस याचिका पर विचार करने को कहा है, जिसमें सीट बेल्ट, हेलमेट और बच्चों के लिए सुरक्षा उपकरणों के नियमित इस्तेमाल को बढ़ावा देकर सड़क मृत्यु कम करने की मांग की गई है। न्यायिक

पहल का अपना महत्व है। जब प्रशासनिक व्यवस्था अपेक्षित गति से काम न करे, तब न्यायपालिका नागरिक जीवन के संवैधानिक मूल्य की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कर सकती है। लेकिन सड़क सुरक्षा जैसी जटिल समस्या का स्थायी समाधान केवल न्यायिक आदेशों से संभव नहीं है। अदालत दिशा दिखा सकती है, सरकार नीति बना सकती है और पुलिस कानून लागू कर सकती है, लेकिन सुरक्षित सड़क संस्कृति तभी विकसित होगी जब पूरी परिवहन व्यवस्था इस धारणा पर आधारित हो कि मनुष्य से गलती होगी और व्यवस्था को उस गलती को कीमत जोवन से नहीं चुकवानी चाहिए।

सीट बेल्ट और हेलमेट सड़क सुरक्षा के सबसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण हैं। दुर्घटना के बाद की जांचों में कई बार सामने आया है कि सीट बेल्ट न लगाने से लोग वाहन से बाहर जा गिरे अथवा वाहन के भीतर किसी कठोर हिस्से से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए। बच्चों के मामले में खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि पिछली सीट पर सुरक्षा बेल्ट तथा बाल-सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अभी पर्याप्त नियमित नहीं है। अचानक ब्रेक या टक्कर की स्थिति में बच्चे का शरीर अधिक असुरक्षित होता है। इसलिए सीट बेल्ट को केवल पुलिस के डर या चालान से बचने का साधन मानना उसके वास्तविक उद्देश्य को छोटा कर देता है। यह जीवन और मृत्यु के बीच एक साधारण लेकिन निर्णायक सुरक्षा-कवच है।

फिर भी केवल सीट बेल्ट और हेलमेट के बेहतर पालन से भारत की सड़क मृत्यु की समस्या हल नहीं हो सकती। 2024 के आंकड़ों के अनुसार सड़क मृत्यु में दोपहिया वाहन चालकों की हिस्सेदारी 46.2 प्रतिशत और पैदल यात्रियों की 20.6 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि सड़क सुरक्षा की बहस को कारों के भीतर बैठे यात्रियों तक सीमित करना वास्तविकता से आँखें मूँदना होगा। सड़क

पर मरने वालों का बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो वाहन के बाहर हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि को वाहन से निकालकर पूरी सड़क व्यवस्था तक विस्तृत करना होगा।

दूसरी बड़ी चुनौती तेज गति है। गति दुर्घटना की संभावना बढ़ाने के साथ दुर्घटना होने पर उसके परिणामों की गंभीरता भी बढ़ाती है। एक ही मानवीय भूल कम गति पर मामूली क्षति का कारण बन सकती है और अत्यधिक गति पर मृत्यु का। इसलिए गति प्रबंधन को सड़क सुरक्षा नीति के केंद्र में रखना होगा। केवल चालान काटना पर्याप्त नहीं है। ऐसी सड़कें, संकेत, निगरानी तंत्र और यातायात व्यवस्थाएँ विकसित करने होंगी जो चालक को सुरक्षित गति बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। दुर्घटना के बाद दंड देना व्यवस्था की अंतिम सीढ़ी है; दुर्घटना से पहले जोखिम कम कर देना कहीं अधिक प्रभावी प्रशासन है।

यहीं 'सेफ सिस्टम' दृष्टिकोण की आवश्यकता सामने आती है। इसका मूल विचार सरल लेकिन दूरगामी है—मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसलिए सड़क व्यवस्था को मानवीय भूल की संभावना को स्वीकार करते हुए बनाया जाए। चालक थक सकता है, ध्यान भटक सकता है, गति का गलत अनुमान लगा सकता है या अचानक निर्णय लेने में चूक सकता है। पैदल यात्री भी गलती कर सकता है। प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि गलती किसने की; प्रश्न यह होना चाहिए कि गलती के बाद व्यवस्था ने व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए क्या किया।

इस दृष्टिकोण में सड़क को केवल डामर की पट्टी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सुरक्षा-तंत्र माना जाता है। दुर्घटना-प्रवण स्थानों की पहचान, उनका वैज्ञानिक सुधार, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्पष्ट संकेत, सुरक्षित पैदल-पारपथ, उचित डिवाइडर, नियंत्रित गति और ऐसी सड़क संरचना आवश्यक है जो मानवीय भूल के प्रभाव को कम कर सके। जिस मोड़ पर

बार-बार दुर्घटनाएँ हो रही हों, वहाँ केवल 'सावधानी से चलें' का बोर्ड लगा देना प्रशासनिक जिम्मेदारी की इतिश्री नहीं हो सकती। यदि कोई स्थान लगातार दुर्घटना का केंद्र बन रहा है तो सड़क की डिजाइन भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

बच्चों की सुरक्षा इसी व्यापक दृष्टिकोण की विशेष मांग करती है। विद्यालयों के आसपास तेज यातायात, असुरक्षित क्रॉसिंग और दोपहिया वाहनों की भीड़ बच्चों के लिए विशेष खतरा पैदा करती है। स्कूल क्षेत्रों को केवल शिक्षण संस्थानों की सीमा न मानकर सुरक्षित यातायात क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए। वहाँ नियंत्रित गति, पैदल-पथ, सुरक्षित क्रॉसिंग, यातायात निगरानी और व्यवस्थित वाहन-प्रबंधन आवश्यक हैं। किसी परिवहन नीति की संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह भी होना चाहिए कि वह बच्चों को कितना सुरक्षित रखती है।

दुर्घटना के बाद की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दुर्घटना को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन दुर्घटना के बाद मृत्यु को कई बार रोका जा सकता है। दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक पहुँचने में लगा समय जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकता है। इसलिए एंबुलेंस नेटवर्क, ट्रॉमा सेंटर, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा को सड़क सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। सुरक्षित सड़क का अर्थ केवल दुर्घटना-मुक्त सड़क नहीं, बल्कि ऐसी सड़क भी है जहाँ दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को समय पर जीवनरक्षक उपचार मिल सके।

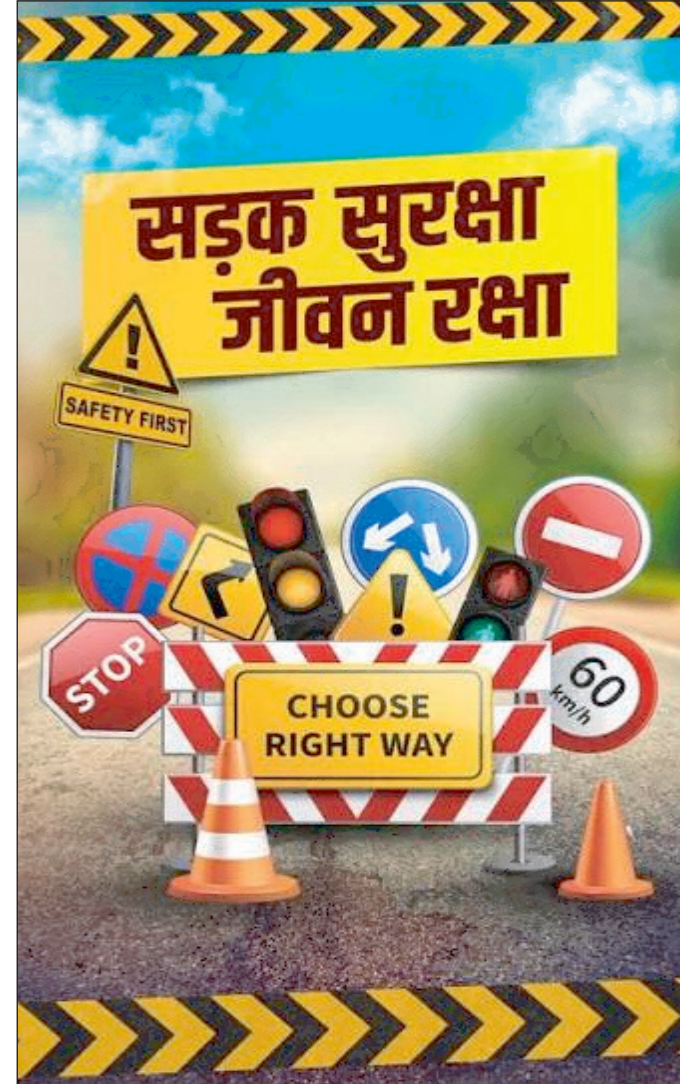
प्रवर्तन व्यवस्था की अपनी सीमाएँ हैं। यातायात पुलिस के पदों में कमी और मानव संसाधन का अभाव हर सड़क पर लगातार निगरानी को कठिन बनाता है। ऐसी स्थिति में तकनीक उपयोगी हो सकती है। स्वचालित गति निगरानी, कैमरा आधारित उल्लंघन पहचान और डिजिटल दंड व्यवस्था प्रवर्तन को अधिक निरंतर

बना सकती है। साथ ही वाहन निर्माताओं की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सुरक्षा तंत्रों को छोड़छाड़ से सुरक्षित बनाना और वाहन की मूल सुरक्षा व्यवस्था में अनधिकृत बदलावों को रोकना आवश्यक है। सड़क सुरक्षा केवल चालक की जिम्मेदारी नहीं; वाहन निर्माता, सड़क निर्माता और नियामक संस्थाएँ भी इसके बराबर हिस्सेदार हैं।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 ने सड़क सुरक्षा से जुड़े कई तंत्रों को मजबूत करने का प्रयास किया था, लेकिन कानून का अस्तित्व और उसके परिणाम एक ही बात नहीं हैं। यदि दुर्घटना और मृत्यु के आंकड़े अपेक्षित स्तर पर नहीं घटते, तो नीति की समीक्षा आवश्यक है। कानून की कठोरता तभी प्रभावी होती है जब उसके साथ प्रवर्तन की निश्चितता, सड़क की गुणवत्ता, वाहन सुरक्षा और नागरिक अनुशासन मौजूद हों। केवल दंड बढ़ाते जाने से सुरक्षित यातायात संस्कृति पैदा नहीं होती।

सबसे कठिन चुनौती शायद कानून नहीं, सामाजिक मानसिकता है। भारत में यातायात नियमों को कई बार सुविधा के अनुसार अपनाया जाने वाला सुझाव समझ लिया जाता है। हेलमेट को पुलिस से बचने और सीट बेल्ट को चालान से बचने की औपचारिकता मानना इसी मानसिकता का परिणाम है। जब तक समाज में यह बोध विकसित नहीं होगा कि यातायात नियम किसी अधिकारी की सुविधा के लिए नहीं, स्वयं जीवन की रक्षा के लिए हैं, तब तक कठोर कानून भी सीमित परिणाम देगा। सुरक्षित व्यवहार को सामाजिक प्रतिष्ठा और असुरक्षित व्यवहार को सामाजिक अस्वीकार्यता से जोड़ना होगा।

इसलिए सड़क सुरक्षा की लड़ाई में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी अंतिम नहीं है। न्यायपालिका व्यवस्था को झुकझोर सकती है, सरकार संसाधन और नीति उपलब्ध करा सकती



है, पुलिस प्रवर्तन कर सकती है, उद्योग सुरक्षित वाहन बना सकता है और नागरिक जिम्मेदार व्यवहार अपना सकते हैं। इन सभी काँड़ों के एक साथ काम करने पर ही सुरक्षित सड़क संभव है। भारत को ऐसी सड़क सुरक्षा नीति चाहिए जो दुर्घटना के बाद दोषी खोजने से पहले दुर्घटना की संभावना घटाए और

दुर्घटना होने पर उसके घातक परिणामों को सीमित करे। सड़क पर जीवन की रक्षा केवल चालक की सावधानी से नहीं होगी; इसके लिए सड़क की डिजाइन, वाहन तकनीक, गति नियंत्रण, प्रभावी कानून, सक्षम प्रशासन, त्वरित चिकित्सा और जिम्मेदार नागरिक संस्कृति—सभी को एक ही सुरक्षा-श्रृंखला में जोड़ना होगा।

झारखंड के पहलवान अनूप का चयन आईएसएफयू-18 ,वर्ल्ड स्कूल गेम्स मे अनूप कुमार का खेल कुश्ती है, उनका वर्ग 45 किग्रा ग्रीको-रोमन है

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, झारखंड के स्कूली खेलों के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य के पहलवान अनूप कुमार का चयन आईएसएफयू-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। अनूप कुमार 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल में हिस्सा लिया था। यहां बेहतर प्रदर्शन के बाद उनका चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है।

अनूप कुमार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में राष्ट्रीय चयन ट्रायल में शामिल होने रायपुर गए थे. राष्ट्रीय चयन ट्रायल में अलग-अलग खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई. 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में अनूप ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई. अब अनूप कुमार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आईज़ा एसएफयू 18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 (जिमानासाईड 2026) का आयोजन 3 से 8 दिसंबर 2026 तक ब्राजील के रियो डी जनेरियो में प्रस्तावित है. इस प्रतियोगिता में अलग-अलग देशों के स्कूली खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. अनूप कुमार इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

स्कूली खेलों में अनूप कुमार महत्वपूर्ण हैं. विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच अनूप का भारतीय टीम में चयन हुआ है. जेईपीसी की ओर से स्कूली खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के अवसर दिए जा रहे



हैं. अनूप कुमार के चयन से राज्य के स्कूली खिलाड़ियों में भी उत्साह है. कुश्ती में 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले अनूप अब ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे.

एक नजर में देखें तो राष्ट्रीय चयन ट्रायल रायपुर, छत्तीसगढ़ में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित हुआ. इसी ट्रायल के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम में हुआ है. आईएसएफयू-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 का आयोजन 3 से 8 दिसंबर तक रियो डी जनेरियो, ब्राजील में प्रस्तावित है. अनूप कुमार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीशान मोनर, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-एस जी एक

आई आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेन और जेईपीसी खेल कोषांग के सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. झारखंड के स्कूली खेलों से निकले अनूप कुमार अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की जर्सी में नजर आएंगे. दिसंबर में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में होने वाली ISF U-18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स-2026 के नजर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और देश का प्रतिनिधित्व करने पर होगी.

धीरसेन ए. सोरेन ने कहा कि अनूप कुमार का भारतीय टीम में चयन शिक्षा विभाग के लिए शानदार उपलब्धि है. राज्य में ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. स्कूली स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर मंच और अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, ताकि झारखंड की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें.

देहरादून में नौ विधि शिक्षण संस्थानों का संगम: न्याय, विधि शिक्षा और युवा प्रतिभा का महाकुंभ संपन्न



उत्तरांचल लॉ कॉलेज से लेकर IMS यूनिर्सन तक के छात्रों ने दिखाया उत्साह – प्रोफेसरस और HOD (लॉ) ने मेंटर के रूप में निभाई सक्रिय भूमिका, न्यायमूर्ति राजेश टंडन का किया गया सम्मान

लेख पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

देहरादून बना विधि शिक्षा का केंद्र देहरादून में आयोजित एक भव्य विधिक सम्मेलन में शहर के नौ प्रमुख विधि शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह सम्मेलन न सिर्फ प्रतियोगिता था, बल्कि भविष्य के न्यायविदों के लिए एक साझा मंच था। बिंदु 1: किन-किन कॉलेजों ने किया

प्रतिभाग ? – 9 संस्थानों की पूरी सूची सम्मेलन में देहरादून के इन नौ प्रमुख संस्थानों के छात्रों ने भाग लिया:

1. उत्तरांचल लॉ कॉलेज
 2. देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी
 3. सिद्धार्थ लॉ यूनिवर्सिटी
 4. स्प्रिफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी
 5. माया देवी यूनिवर्सिटी
 6. डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी
 7. जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज
 8. डीडी लॉ कॉलेज
 9. आईएमएस यूनिर्सन यूनिवर्सिटी
- बिंदु 2: सिर्फ छात्र नहीं, गुरुओं ने भी दिया साथ – मेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रही – विद्यार्थियों के साथ उनके संबंधित कॉलेजों के प्रोफेसरस और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट (लॉ) ने मेंटर्स के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों का



मार्गदर्शन और सहयोग किया, जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल विधि शिक्षा का अनुभव मिला। यह गुरु-शिष्य परंपरा का आधुनिक उदाहरण था। बिंदु 3: न्यायमूर्ति राजेश टंडन का सम्मान – मुख्य आकर्षण कार्यक्रम के दौरान ऋतु गुजराल फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष अधिवक्ता ऋतु गुजराल तथा फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष द्वारा न्यायमूर्ति राजेश टंडन का सम्मान किया गया। न्यायमूर्ति टंडन का सम्मान विधि छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनके अनुभवों ने युवा वकीलों को न्याय के मार्ग पर चलने की सीख दी।

संपादकीय टिप्पणी: देहरादून अब सिर्फ स्कूलों की राजधानी नहीं, बल्कि विधि शिक्षा का हब बनता जा रहा है। नौ संस्थानों का एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि उत्तराखंड में कानून की पढ़ाई अब कितनी गंभीरता से ली जा रही है। ऐसे सम्मेलनों से ही कल के न्यायाधीश,



अधिवक्ता और कानूनिद्वैत तैयार होंगे। परिवहन विशेष सभी प्रतिभागी संस्थानों और आयोजक ऋतु गुजराल फाउंडेशन को बधाई देता है।

झारखंड न्यायिक कैडर के तीन वरिष्ठ जज बने हाईकोर्ट में नये जज

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड न्यायिक सेवा (सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस) कैडर के तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट का जज (न्यायाधीश) नियुक्त किया गया है. नवनियुक्त न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह 23 सितंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे से झारखंड हाईकोर्ट परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर आयोजित किया जाएगा. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक नवनियुक्त तीनों जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

राजभवन से शेड्यूल तय होने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं. इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सत्य प्रकाश सिन्हा ने आधिकारिक जानकारी दी है. हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नत होने वाले न्यायिक अधिकारियों में गढ़वा के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, साहिबगंज के पीडीजे अखिल कुमार और डालटनगंज (पलामू) के पीडीजे राम



शर्मा शामिल हैं. ये तीनों अधिकारी अपनी उत्कृष्ट न्यायिक सेवाओं के बाद अब हाईकोर्ट

में न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे. गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट में वर्तमान में चीफ जस्टिस एमएस सोनक सहित कुल 13 न्यायाधीश कार्यरत हैं. इन तीन नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण करते ही हाईकोर्ट में कार्यबल (जजों की संख्या) बढ़कर 16 हो जाएगी. हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 25 हैं, जिसके चलते शपथ ग्रहण के बाद भी 9 पद रिक्त रहेंगे .